पंचम माला, खंड 65, अंक 3, बुधवार, 27 अक्तूबर, 1976/5 कार्तिक, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXV, No. 3, Wednesday, October 27, 1976/Kartika 5, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...
21.XI.76

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[अठारहवां सत्र / Eighteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 65 में अंक 1 से 11 तक हैं / Vol. LXV Contains Nos. 1 to 11]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची /CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 27 अक्तूबर, 1976/5, कार्तिक 1898 (शक)

No. 3, Wednesday, October 27, 1976/Kartika 5, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	1
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति 18वां प्रतिवेदन	Committee on Government Assurances Eighteenth Report . . .	5
संविधान (44वां संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव—	Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill . . . . . Motion to consider—	5
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	5
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	6
डा० वी० के०आर० वर्दराज राव	Dr. V.K.R. Varadaraja Rao . .	7
श्री शिब्बन लाल सक्सेना	Shri S.L. Saksena	10
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R.K. Khadilkar . . .	11
श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri. . .	12
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.R. Salve	12
श्री एस० ए० शमीम	Shri S.A. Shamim	15
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray . . .	16
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan . . .	16
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	17
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan . .	18
श्री धरणीधर दास	Shri Dharnidhar Das . . .	19
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . . .	20
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerji . . .	22
श्री रूद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh . .	22
श्री जांबुवन्त धोटे	Shri Jambuwant Dhote . . .	23
श्री अमृत नहाटा	Shri Amrit Nahata. . . .	23
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon . . .	25
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha . .	26
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R.R. Sharma	26
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi . . .	27
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh . . .	30
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . .	31
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	31
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . . .	32
श्री टी० बालकृष्णैया	Shri T. Balakrishniah . . .	33

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri Arvinda Bala Pajanor	33
श्री गेंदा सिंह	Shri Genda Singh	35
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	35
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha	35
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	36
श्री एन० एस० काम्बले	Shri N.S. Kamble	36
श्री इन्द्र जे० मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	36
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee.	37
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	38
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	38
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	39
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	40
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	40
श्री मूल चन्द गाडा	Shri M.C. Daga	41
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayana Rao	41
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	42
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman	42
श्री आर० पी० यादव	Shri R.P. Yadav	43
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan	43
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	44
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	45
श्री पी० गंगा रेड्डी	Shri P. Ganga Reddy	46
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	47
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	48
श्री धरणीधर बसुमतारी	Shri D. Basumatari	49
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy	49
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	50
श्री एस० एन० सिंह देव	Shri S.N. Singh Deo	50
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	51
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	51
श्री पी० आंकिनीडू प्रसाद राव	Shri P. Ankineedu Prasada Rao	52
श्री दामोदर पाण्डेय	Shri Damodar Pandey	52
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya	53
श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev	53
श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	Shri Jagdish Chandra Dixit	53
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	54
श्री आई० एच० खान	Shri I.H. Khan	54
श्री डी० वी० चन्द्र गौडा	Shri D.V. Chandra Gowda	55
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	55
श्री सी० के० जफर शरीफ	Shri C.K. Jaffar Sharief	56
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip	56

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फ़िरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फ़रुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)
उरांव, श्री टूना (जलपाईगुडी)
उलगनवी, श्री आर० पी० (वैल्लर

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)
एगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पढ़रपुर)
काबले, श्री दी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री श्रा (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफ़ी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोट)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)
खां, आई० एच० (बारपेट)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फ़तेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ऐटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री डी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (जैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफ़र शरीफ़, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फ़िकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोज़फ़, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी श्री जगगन्ननाथ राव (शाजापुर)
जोशी श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीप

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी (पेछापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)

तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवरी श्रीपी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तेयब हुसेन श्री (गड़गांव)

द

दंडपाणि श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह श्री (सिरसा)
दलीप सिंह श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास; श्री अनाधि चरण (जाजपुर)
दास; श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास; श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित; श्री गंगाचरण (खण्डपा)
दीक्षित• श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीबीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे; श्री ज्वाला प्रसाद (भण्डारा)
दुराईरासु, श्री ए० पेरम्बूलूर)
देव; श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी, राव एस० (परभणी)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० बी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढवाल)

प

पण्डा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडेचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरबिन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानू भाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगरहवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री माणिकराव (औरंगाबाद)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीललाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जल-गांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमी)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (शौरंगपुर)
प्रबोध चन्द श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसू, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल श्री गुरदास सिंह (फाजिलका)
बाबूनाथ सिंह श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुझा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह, राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)
भट्टाचार्या, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (धाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु, (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)

भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकरनूल)
भुवराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा , श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंड , श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
'मधुकर', श्री कमला मिश्र (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी श्री गजाधर, (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिताम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र श्री विभूति (मोतिहारि)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवैली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत श्रीभोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस (कुडलूर)
रामकंवार श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिनजौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हैडाउ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (श्री छप्परा)
राम सूरत प्रसाद श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप श्री (रार्बट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडे प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछरिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलवाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चितुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिलौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री पेरम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजय पाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खा, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शेलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरूचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलूक)
साम्बिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतुल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सैकिया, श्री इराजमुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसात)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुलकीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहन लाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुझा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वेल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तय्या, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसन्त साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

श्री पी० पार्थसारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढ़िल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री सैयद मीर कासिम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नूरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शंकर घोष
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विट्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री देवव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० मांझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री वी० शकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 27 अक्तूबर, 1976/5 कार्तिक, 1898 (शक)

Wednesday, October 27, 1976/Kartika 5, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सौन्डा और सुदामदीह कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं के बारे में विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं केन्द्रीय सौन्डा और सुदामदीह कोयला खानों में क्रमशः 16 सितम्बर और 4 अक्तूबर, 1976 को हुई दुर्घटनाओं के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11402/76]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के ज्ञापन एवं अन्तःनियमावली के संशोधन से सम्बन्धित विवरण

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, के ज्ञापन एवं अन्तःनियमावली के उपबन्ध 83(5) के संशोधन से संबंधित एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11403/76]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा०सां०नि० 799 (ङ) जो, दिनांक 13 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1974 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 402 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 24 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 815 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11404/76]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियमन 1976 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 796(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 9 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 996(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11405/76]

तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक तथा धर्मार्थ धर्मस्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सैयद मुहम्मद) : मैं तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक तथा धर्मार्थ धर्मस्व अधिनियम, 1959 की धारा 116 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक तथा धर्मार्थ धर्मस्व पराममर्शदात्री समिति नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 सितम्बर, 1976 तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०ओ०एम० 1163 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-11406/76]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (22वां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1327 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-11407/76]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 828 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी 11408/76]

(3) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 806 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो, दिनांक 18 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1457 में कतिपय संशोधन किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11409/76]

(4) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (आठवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 अगस्त, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4/25/76-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11410/76]

(5) कृषिक पुनर्वित्त तथा विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कृषिक पुर्नवित्त तथा विकास निगम बम्बई के 30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी 11411/76]

अक्तूबर, 1976 में जारी किये गए बाजार ऋण सम्बन्धी विवरण आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम तथा आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम और सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 1976 में जारी किये गये बाजार ऋण के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी 11412/76]

(2) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (चौथा संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 618 (ङ) में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी 11413/76]

(3) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 619(ङ) में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11414/76]

(4) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तगत सामान्य बीमा (अधिकारियों तथा विकास कर्मचारियों की बर्खास्तगी, वार्धक्य तथा सेवा निवृत्ति) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 21 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 627(ङ) में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी०-11415/76]

लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (पहला संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1386 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी०-11416/76]

(2) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1387 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1388 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1389 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) नैवेली कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1976, जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1390 में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1976, जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1391 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11417/76]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 1322 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 11 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसम दिनांक 22 मई, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 707 के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 18 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1355 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 2 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1427 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी०-11418/76]

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

18 वां प्रतिवेदन

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

संविधान (44 वां संशोधन) विधेयक—जारी
CONSTITUTION (FORTY FOURTH AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब सभा संविधान (44 वां संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेगी।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमया) : सदस्यों के भाषण देने से पहले मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री चार बजे दोपहर बाद चर्चा में भाग लेगी। हर माननीय सदस्यों के बोलने के लिए दस मिनट निश्चित किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य चाहें तो सभा शाम आठ बजे तक बैठेगी और मंत्री कल अपना उत्तर देंगे। अब श्री हरी सिंह अपना भाषण आगे जारी करेंगे।

Shri Hari Singh (Khurja): I was saying that the present Parliament is politically and morally competent to amend the constitution. These amendments aims at progress of the nation. Certain problems facing the country have necessitated the amendment in the constitution.

The amendments are very important and should be passed. In the changed circumstances, it has become imperative to recast the constitution.

Our Country is progressing under the leadership of Shrimati Indira Gandhi. She has shown new path to the Country.

With these words, I support these amendments.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण एवं विचारात्मक प्रलेख तैयार करने में स्वर्ण सिंह समिति ने जो कठिन परिश्रम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। फिर भी इस प्रलेख में कई सुधार करने की गुंजाइश है।

विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाईयों को हटाने हेतु संविधान में संशोधन करने पर सरकार तथा जनता का कुछ समय से सक्रिय ध्यान रहा है। सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति से निर्धनता, अशिक्षा, बीमारी तथा असमानता दूर हो जाएगी। आशा है कि हमारी यह आशा पूरी होगी और हम अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि अध्याय 4 में निहित अनुच्छेद 14, 19 तथा 37 को निदेशक सिद्धान्तों के क्रियान्वयन में बाधक न बनने दिया जाए। किन्तु निदेशक सिद्धान्तों में यह जोड़ने के लिए संशोधन करना चाहिए कि राज्य उन सभी भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे जिनके पास काम करने की क्षमता है और जो अपने अनुशासन तथा योग्यता को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में लगा सकते हैं।

यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नवयुवक को किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि लेने से पूर्व या किसी भी सेवा में रोजगार के लिए पात्र होने से पूर्व एक वर्ष के लिए प्रादेशिक सेना में या किसी कारखाने, फार्म या सिंचाई परियोजना में कार्य करना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इस आशय का संशोधन किया जाना चाहिए। इससे हमारी युवा पीढ़ी अधिक अनुशासित बनेगी और इससे उन्हें राष्ट्र निर्माण में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा।

न्याय प्रशासन, सिंचाई, तोल और माप, वन्य जीव तथा वन संरक्षण को समवर्ती सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का स्वागत है ताकि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाए और इन विषयों सम्बन्धी समस्याओं के बारे में एक अखिल भारतीय नीति अपनाई जा सके। मैं बहुत पहले से ही वनों तथा वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता पर बल देता रहा हूं। इन वन्य जीवों को समाप्त होने से बचाने के लिए सरकार ने जो कार्यवाही की है इसके लिए वह बधाई की पात्र है।

संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत देश के किसी भी भाग में आपात स्थिति की घोषणा करने और किसी भाग में आपात-स्थिति समाप्त करने का प्रस्ताव ठीक है। किसी राज्य में कानून और व्यवस्था की गम्भीर स्थिति के समय उस राज्य की सहायता के लिए वहां केन्द्रीय पुलिस दलों को तैनात करना एक सशक्त केन्द्र की निशानी है। हम सभी चाहते हैं कि केन्द्र मजबूत हो।

संसद की सर्वोच्चता और प्रभुसत्ता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है और न ही इसे विचारपूर्ण ही कहा जा सकता है। वास्तविक प्रभुसत्ता तो जनता में है। आस्ट्रेलिया में विटलम सरकार ने संसद में दो तिहाई बहुमत से जो संशोधन पारित किए थे। उन्हें जनता ने जनमत द्वारा अस्वीकार कर दिया था।

विधेयक में यह प्रावधान है कि किसी भी संवैधानिक संशोधन पर न्यायपालिका विचार नहीं करेगी और किसी भी कानून की संवैधानिक मान्यता को सुनिश्चित करने के लिए बैंच के दो तिहाई मत की विशेष आवश्यकता होगी। किन्तु कोई गैर जिम्मेदार संसद राजतंत्र स्थापित कर सकती है,

जैसा कि स्पेन में हुआ है, जहां श्री जान कारलो को राजा बनाया गया। संसद संविधान के संशोधी अनुच्छेद 368 का लोप कर सकती है और संशोधन को अपरिवर्तनीय बना सकती है ताकि यथास्थिति बनी रहे। अतः वर्तमान प्रस्ताव सही कदम नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 226 में "किसी अन्य प्रयोजन" शब्द को हटाने से लोगों के उच्च न्यायालयों में पहुंचने पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। अतः कोई वैकल्पिक उपबन्ध किया जाना चाहिए। हम विधि मंत्री से जानना चाहते हैं कि निलम्बित पड़े मामलों का क्या होगा। लगभग 18 या 19 हजार याचिकाएं न्यायालयों में विचाराधीन पड़ी हैं। मुकदमेबाजों ने न्यायालय में याचिका पेश करने के लिए काफी धन खर्च किया है।

प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द जोड़ा जा रहा है। यदि इसका अर्थ दलित वर्गों की सहायता करना है, तो इस शब्द को जोड़ना उचित है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक पर उचित विचार किया जाना चाहिए। कुछ सुधार लाने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बैल्लारी) : सबसे पहले तो मैं 44वें संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय कानूनों की व्यवस्था कर सकते हैं। वे संवैधानिक उपबन्धों के साथ विधान की अनुकूलता की भी व्यवस्था कर सकते हैं। किन्तु जहां तक स्वयं संविधान या संविधान के संशोधनों का सम्बन्ध है, इस मामले में संसद के अतिरिक्त किसी और को कोई अधिकार नहीं है।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या उस संसद को संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है, जो कि अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पहले ही पूरी कर चुकी है। निस्संदेह यह वैध संसद है। इसका कार्यकाल संविधान के अन्तर्गत ही बढ़ाया गया है। इसलिए इसके अधिकार तथा विशेषाधिकार किसी भी तरह से कम नहीं समझे जा सकते। अतः वैधानिक रूप से इस संसद को संविधान में संशोधन करने की क्षमता के बारे में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। किन्तु यदि सरकार द्वारा सभा के समक्ष पेश किए गए प्रस्तावों का उद्देश्य संविधान में आवश्यक रूप से क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना होता तो फिर तो लोग यह कह सकते थे कि इस तरह के आमूल परिवर्तन करने से पूर्व, जो कि 27 वर्ष पूर्व तैयार किए गए संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल जाते हैं, हमें जनता का समर्थन लेना चाहिए।

हम जो परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, उनका उद्देश्य इन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, जिन्हें हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना तथा निदेशक सिद्धान्तों में रखा था। हमारा प्रयत्न ऐसे परिवर्तन करने का है जिनसे हम प्रस्तावना तथा निदेशक सिद्धान्तों में निहित कार्यक्रमों तथा नीतियों को अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर सकें। वर्तमान परिस्थितियों में इस संसद को इस संविधान संशोधन पर विचार करने का पूरा अधिकार है।

जहां तक संविधान में मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय को जोड़ने का संबंध है, मैं हमेशा ही इसके पक्ष में रहा हूं। जब संविधान तैयार किया गया था तो अधिकारों की स्वीकृति दी गई थी क्योंकि हम उपनिवेशवादी दमन कार्यों के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए लड़ते आ रहे थे और इसलिए हम

इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उत्सुक थे। कर्तव्यों पर हमने अधिक जोर नहीं दिया क्योंकि हमने सोचा था कि कर्तव्यों का निर्वहन तो होगा ही क्योंकि जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने वास्तव में पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाए थे। किन्तु स्वतंत्रता के गत 20 और विशेषकर गत 5–6 वर्षों के अनुभव से पता चल गया है कि अधिकारों की तुलना में लोगों ने कर्तव्यों की पूरी अवहेलना की है। अतः वास्तव में यह बहुत ही अच्छी बात है कि संविधान में कर्तव्यों का एक विशिष्ट अध्याय बनाया जा रहा है। किन्तु इन मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों तथा निदेशक सिद्धान्तों के बीच का स्थान देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त कर्तव्यों में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि लोगों को अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य करना चाहिए। किसी भी समाजवादी समाज में, यदि वह अपंग, वृद्ध या बच्चा नहीं है रोजी के लिए अनुशासन के साथ कार्य करना है। इस आशय का भी एक खण्ड होना चाहिए कि सभी मामलों में सबके अधिकारों का सम्मान किया जाए।

जहां तक मौलिक कर्त्तव्यों का सम्बन्ध है, यह समझ में नहीं आता कि इस सम्बन्ध में दण्ड देने वाले खण्ड को क्यों हटाया गया है। हम केवल स्वीकृतियों द्वारा ही इसे क्रियान्वित नहीं कर सकते। इस आशय का कोई खण्ड होना चाहिए कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करे कि व्यापक प्रचार शिक्षा प्रणाली, पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यक्रम आदि का उपयोग करके लोगों को कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करेगी। सरकार को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि मौलिक कर्त्तव्य लोगों के दिलो-दिमाग तथा जीवन में घर कर लें।

इस संशोधी विधेयक द्वारा व्यापक परिवर्तन खंड 31(ग) के सिद्धान्त के विस्तार के बारे में किया जा रहा है, अर्थात् नीति के किसी भी निदेशक सिद्धान्त के अनुसरण में पारित किए गए विधान को तब तक रद्द नहीं समझा जाना चाहिए जब तक कि वह किसी मौलिक अधिकार का संशोधन न करता हो। इसका अर्थ यह हुआ कि निदेशक सिद्धान्त अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 से ऊपर होंगे। यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि विधान मंडल यह घोषणा करता है कि पास किया गया अमुक विधान निदेशक सिद्धान्तों के अनुसरण में है, तो न्यायालय इसके गुण-दोषों पर निर्णय नहीं दे सकता।

जहां तक मैं समझ पाया हूं इस खण्ड के पारित होने पर स्थिति यह होगी कि यदि निदेशक सिद्धांतों से सम्बद्ध कोई ऐसा विधान बना दिया जाता है, जिसके आधार पर मौलिक अधिकारों में कुछ हस्तक्षेप हो जाता है, तो ऐसे मामले में न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। आज 'मौलिक अधिकार' शब्द का प्रयोग बहुत ही गलत ढंग से किया जा रहा है। तथ्य तो यह है कि मौलिक अधिकारों को किसी प्रकार से समाजवाद के रास्ते में नहीं आने दिया जाना चाहिये। सम्पत्ति के अधिकार की काफी आलोचना की गई है, परन्तु यह विचित्र बात है कि संशोधन विधेयक में उसे नहीं छुआ गया है। मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं कि लोगों को सम्पत्ति का अधिकार होना ही नहीं चाहिये परन्तु मैं तो यह चाहता हूं कि उस पर उपयुक्त नियंत्रण होना चाहिये।

"मौलिक अधिकारों" का नाम लेते ही हमारे समक्ष यह प्रश्न आता है कि आखिर मौलिक अधिकार क्या होते हैं ? मैं समझता हूं कि भाषण देने, विचारों का आदान-प्रदान करने तथा देश के किसी भी भाग में जाने तथा वहां जा कर बसने, के अधिकार मौलिक अधिकारों में ही आते हैं।

कानून के समक्ष समानता का अधिकार भी ऐसा ही अधिकार है। परन्तु देखने वाली मुख्य बात केवल यही है कि यह मौलिक अधिकार केवल 'व्यक्ति' से ही सम्बद्ध है। यदि यह अधिकार हमारी सामाजिक प्रगति के रास्ते में किसी प्रकार से रोड़ा अटकाते हैं तो हमें उनमें उपयुक्त संशोधन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। मौलिक अधिकारों की अपेक्षा निदेशक सिद्धांतों को महत्ता दी जानी चाहिये।

हम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा गणतन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं, हम ऐसे समाज को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो हमें यह व्यवस्था करनी होगी कि किसी भी विधेयक को विधि मंत्रालय द्वारा इस आधार पर न रोका जाये कि उसका सम्बन्ध कुछ मौलिक अधिकारों से है। परन्तु इसके साथ ही मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय का यह दायित्व होना चाहिये कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी विधेयक बिना पर्याप्त तथा स्वतन्त्र वाद-विवाद के पारित न किया जाये।

मौलिक अधिकारों के बारे में मैं अन्तिम निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि कुछ मौलिक अधिकार हमें विरासत में ही प्राप्त हुए हैं। उदाहरणार्थ हमारा भावाभिव्यक्ति का अधिकार, यदि हमें इस मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाये तो फिर भला अन्य मौलिक अधिकारों से क्या लाभ हो सकता है ? इसीलिये मेरा निवेदन यह भी है कि जो मौलिक अधिकार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जो लोकतन्त्र का मूल आधार है, हमें उन्हें बनाये रखना चाहिये। यह ठीक है कि संसद को उनमें संशोधन करने का अधिकार है, परन्तु जब हम न्यायालयों को उनकी व्याख्या करने से वंचित कर रहे हैं तो फिर हमें किसी अन्य ऐसे तन्त्र की स्थापना भी करनी चाहिये जो यह सुनिश्चित करे कि जो संशोधन संसद् द्वारा किये जा रहे हैं, उनकी उचित व्याख्या की जायेगी। इस कार्य के लिये हमें विधि विशेषज्ञों की या विशिष्टता प्राप्त संसद सदस्यों की कोई समिति गठित करनी चाहिये जो सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त ही इस प्रकार का विधान तैयार करे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कोई ऐसी व्यवस्था या उपाय करना चाहिये जिससे कि हम विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर सकें।

मैं संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द के जोड़े जाने का भी स्वागत करता हूं। गत अनेक वर्षों से हम समाजवाद की बात करते आये हैं। कांग्रेस द्वारा अपने अनेक अधिवेशनों तथा देश के अनेक राजनैतिक दलों द्वारा भी इसका समर्थन किया जा चुका है। समाजवाद ही हमारे देश का तथा हमारा अन्तिम लक्ष्य है। मैं समझता हूं कि 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द की व्याख्या करने में कोई विशेष भ्रम नहीं होगा। हम इस शब्द की उचित व्याख्या के लिये संसद सदस्यों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा गोष्टियों का आयोजन कर सकते हैं।

संविधान में संशोधन करने के बारे में मैं अन्तिम निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमें संविधान के अग्रेतर संशोधन करते समय गम्भीरता से काम लेना चाहिये हमारे संविधान के मूल्यांकन के कई पहलू हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इसके आधारभूत ढांचे को दृष्टि में रख कर इसे आंकते हैं। यदि उसकी व्याख्या हमारे संविधान में ही कर दी गयी होती तो उन्हें यह न करना पड़ता। मैं समझता हूं कि हमारे देश में संसद सर्वोच्च है तथा वह भारी बहुमत से कुछ भी परिवर्तन उसमें कर सकती है किन्तु यह सब गम्भीरता से, सोचने के बाद ही करना चाहिये।

अन्त मे मैं विधि मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 346 या 356 के बारे में संशोधन सम्बन्धी सुझावों पर विचार करना चाहिये। इनके सम्बन्ध में हमारे संविधान में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनका गहन अध्ययन किया जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि वर्तमान संशोधनों के पारित किये जाने के बाद, हमारे देश के लोग कांग्रेस सरकार, तथा इस संसद की विद्वता की सराहना किये बिना नहीं रह सकेंगे क्योंकि इनसे जनसाधारण के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिये बहुत कुछ किया गया है।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मैं यह स्पष्ट कर देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि प्रस्तुत विधेयक पर स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूप से चर्चा की जानी चाहिये। लोगों को यह अवसर दिया जाना चाहिये कि वह गहराई से इस विधेयक का अध्ययन कर सकें। इस प्रकार जल्दी-जल्दी से दो या चार दिनों में इस विधेयक पर चर्चा कर पाना सम्भव नहीं होगा। इसके लिये हमें 30 नवम्बर, 1976 तक का समय दिया जाना चाहिये ताकि विधेयक को भी भली प्रकार से समझा जा सके। आज देश में आपात स्थिति के कारण आतंक का वातावरण बना हुआ है। विरोधी दलों के नेता तथा अन्य अनेक जननेता जेलों में बन्द हैं। गत कुछ महीनों से चली आ रही प्रैस सेंसरशिप तथा विरोधी पक्ष के विचारों को समाचारपत्रों में स्थान न दिये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत संशोधनों पर किसी प्रकार की जनचर्चा नहीं हो पाई है। अतः प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के सन्दर्भ में ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक 30 नवम्बर, 1976 तक के लिये परिचालित किया जाना चाहिये।

मुझे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा का सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ परन्तु यह बहुत ही खेद की बात है कि आज मेरे जीते जी ही इस संविधान को नष्ट किया जा रहा है। आपकी मान्यता इन संशोधनों के बारे में भले ही कुछ और हो, मैं तो यही समझता हूं कि अब इसे समाप्त किया जा रहा है।

विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि इन संशोधनों का उद्देश्य उन कठिनाइयों को दूर करना है जोकि हमारे सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग की बाधा बनी हुई हैं और उनकी प्राप्ति से निर्धनता, अशिक्षता, रोग तथा अवसरों की असमानता समाप्त हो जायेगी।

मेरी यह राय है कि वर्तमान संविधान 25वें तथा 26वें संशोधन के बाद सामाजिक-आर्थिक सुधार के मार्ग में किसी प्रकार भी बाधक नहीं रहा है। इन संशोधनों से उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में बताई गई त्रुटियों को दूर करना था। उच्चतम न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा निजी थैलियों को समाप्त करने सम्बन्धी दो आर्थिक उपायों को रद्द कर दिया था। फिर इस विधेयक का व्यापक विरोध के बावजूद लोक सभा के बढ़ाये गये कार्यकाल के समाप्त होने पर भी पेश करने में जल्दबाजी क्यों की जा रही है? संविधान की सर्वोच्चता पर संसद की सर्वोच्चता क्यों थोपी जा रही है? यह तो भारतीय जनता का संविधान है। जनता को यह संविधान संसद ने नहीं दिया अपितु जनता ने संसद को यह संविधान दिया है और वे ही संविधान की मौलिक बातों में परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन करने के उद्देश्य से वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा ही अकेले इसमें संशोधन कर सकती है। इस

विधेयक में एक ऐसा खण्ड है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् की सलाह माननी होगी। यह खतरनाक सिद्धांत है । राष्ट्रपति को बहुत कम शक्तियां दी गई हैं तथा उन्हें भी छीना जा रहा है । यह अनुचित बात है । आशा है कि इस खण्ड का संशोधन किया जायेगा और राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों से वंचित नहीं किया जायेगा ।

इस विधेयक के द्वारा सरकार मौलिक अधिकारों को छीन रही है और उन्हें निदेशक सिद्धांतों से नीचे रखा जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि जिन अधिकारों के लिये हमारे पूर्वज 1957 से लड़ते आये हैं उन्हें छीना जा रहा है । इन्हें वैसे ही रहने दिया जाना चाहिये । सरकार उन्हें गैर-न्यायपूर्ण बना सकती है किन्तु उनकी तुलना में निदेशक सिद्धांतों को अधिक ऊंचा स्थान नहीं दिया जाना चाहिये ।

जहां तक नये अनुच्छेद 31घ के अन्तःस्थापन का संबंध है, इसका अर्थ और कुछ नहीं अपितु राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाना है । सरकार के खिलाफ जो भी बात होगी उसे दबा दिया जायेगा । मैं इस खण्ड का जोरदार विरोध करता हूं और आशा है कि इसका लोप कर दिया जायेगा ।

सरकार को चुनावों के लिये जनता का सामना करने से घबराना नहीं चाहिये । उनके लिये यह उचित समय है कि वे जनता के समक्ष आयें और उन से समर्थन प्राप्त करके ही इन संशोधनों पर विचार करें । इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी और यदि वे ऐसा कर देंगे तो ये परिवर्तन स्थाई हो जायेंगे । अन्यथा यदि वे इस विधेयक को इसी रूप में पारित कर देंगे तो इसे न्यायालय में चुनौती मिलेगी कि आधारभूत संरचना में परिवर्तन किया गया है और फिर इसें रद्द कर दिया जायेगा । अतः सरकार यह विधेयक वापस ले ले और नया चुनाव घोषणा पत्र लेकर जनता के सामने जाये लोगों का समर्थन प्राप्त कर ले और फिर इन संशोधनों वाला एक नया विधेयक पेश करे।

श्री आर० के० खाडिलकर (बारामती) : मैंने श्री वी० के० आर० वी० राव के भाषण को सुना जिसमें कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार की वकालत की है । मेरे लिये यह गौरव की बात है कि मुझे देश के सब से सशक्त मंच अर्थात् लोकसभा में लगभग 20 लाख लोगों की जनसंख्या वाले चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सुअवसर प्राप्त है । हमारे संविधान में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वह उस समय की परिस्थितियों के तो अनुकूल ही था, परन्तु अब परिवर्तित परिस्थितियों के सन्दर्भ में उसमें परिवर्तन करना अपेक्षित हो है ।

तीन प्रकार की आलोचना की गई है । एक वर्ग ने कहा है कि हमें संविधान सभा बनानी चाहियें । दूसरे वर्ग ने कहा कि हम ऐसा करने के लिये सक्षम नहीं हैं और तीसरे वर्ग का कहना है कि हमें अगले चुनावों से पहले ऐसा नहीं करना चाहिये । कई लेखकों तथा बुद्धिजीवियों ने इस प्रकार की राय व्यक्त की है । विधि मंत्री को उनकी बातें सहज ही नहीं टाल देनी चाहिये । इन रायों पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

हमारे देश में जाति समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है । जाति प्रथा को समाप्त किया जाना चाहियें । जब हम संविधान में संशोधन की बात करते हैं और चिल्ला चिल्लाकर साम्प्रदायिक तत्वों की बात करते हैं तो फिर हम जाति प्रथा का उल्लेख क्यों नहीं करते ? मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालें।

आज हम पर एक ओर नौकरशाही दूसरी ओर न्यायपालिका तथा तीसरी ओर संसद शासन कर रही है । यह वितन्त्र है लेकिन इसके असली मालिक नौकरशाह हैं । देश में नौकरशाही पर नियंत्रण के लिये कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये ।

हमें यह बात समझ लेनी चाहिये कि जब तक किसी न किसी उपाय द्वारा आर्थिक सन्तुलन नहीं स्थापित किया जाता तब तक यह संविधान भी देर तक हमारा सहायक नहीं हो सकता । समय आ गया है जबकि विधि मंत्री इस पर कुछ सुझाव देकर हमें बतायें कि इसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है । समाजवाद के बारे में इतना कुछ कहने के बावजूद भी हमारी अर्थ-व्यवस्था पर कुछेक लोगों का नियन्त्रण है । जब तक निजी सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता और इस ढंग से उस पर सीमा नहीं लगाई जाती जिससे कि शोषण न हो तब तक आम जनता को कुछ लाभ नहीं होगा ।

हमारे देश में बेरोजगारी जनसंख्या की दर से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है । जब तक संविधान में इसके लिये उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक यह समस्या हम हल नहीं कर पायेंगे । मेरा विचार है कि काम करने के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया जाना चाहिये । इस अधिकार को शामिल करने के बाद ही हम इस दिशा में कुछ कारगर कदम उठा सकेंगे ।

कल श्री स्वर्ण सिंह द्वारा इस विधेयक के सामाजिक-आर्थिक दर्शन पर काफी कुछ कहा गया । मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में से जातिवाद की रूढ़ता को समाप्त करने के लिये भी कारगर कदम उठाये जाने चाहिये।

मैं संयानम समिति का सदस्य भी था । वहां अनुच्छेद 311 का प्रश्न भी उठाया गया । उस समय भी मैंने कहा था कि बिना प्रशासनिक कानून के हम इस अनुच्छेद को नहीं हटा सकते।

यह कहना गलत है कि राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार प्रजातंत्रीय नहीं होती । अन्य पहलुओं के बारे में मैं संशोधनों पर चर्चा के दौरान बोलूंगा ।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : I welcome the spirit behind this Bill. The greatest lacuna in our constitution is that fundamental rights have been included in it and the duties to be performed by the citizens have been left out. The people should have been made aware of not only of their rights but also their duties in the early years of our freedom. Freedom was misinterpreted by the people. Misunderstanding about the meaning of freedom has been sought to be removed by way of this resolution by including provision of duties in it, and it is mainly for this reason that I welcome this measure.

I think that the rights accrue from duties. The provision of duties in the Bill will prove to be beneficial to the countrymen.

Our Shastras also do not encourage over-population which only results in poverty and starvation.

It is said that we should obtain consent of the people for making any amendments to the Constitution. It is quite correct that people are supreme in a democracy, but it must be seen whether they are in a position or whether they have any capacity to give free opinion. We have to take into account their standard of judgement. However, I support this Bill.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बैतूल) : विधि मंत्री ने इस विधेयक से उत्पन्न आशंकाओं का ठीक निराकरण किया है । इस विधेयक के पारित होने के परिणामस्वरूप संसद् संविधान निर्माताओं द्वारा

इस देश को दिये गये संविधान का पूरा स्वरूप ही बदल देगी । कहा गया है कि इस 59 खण्ड वाले विधेयक में केवल सात आठ खण्ड ऐसे हैं जो कि संवैधानिक कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन लायेंगे । शेष खण्ड केवल अनुवर्ती हैं । अतः संविधान के ढांचे में अथवा इसकी योजना में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है । यह आलोचना कि संविधान के मूलभूत तत्वों को बदलने की कोशिश की जा रही है, राजनीति से प्रेरित हैं।

इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं । एक तो उच्च न्यायालयों के याचिका क्षेत्राधिकार को सुचारू और युक्ति-मूलक बनाना है दूसरे इस तथ्य को पुनरावृत्ति करना है कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने के लिये कानूनी रूप से सक्षम है और संविधान के आधारभूत ढांचे में भी परिवर्तन कर सकती है ।

संसद की क्षमता को दो कारणों से चुनौती दी जा सकती है । पहला कानूनी अधिकार और दूसरा नैतिक अधिकार । अनुच्छेद 83(2) के अन्तर्गत संसद आपात स्थिति के दौरान अपनी कालावधि एक एक वर्ष करके बढ़ा सकती है और कोई भी कानून या संविधान का उपबन्ध इस संसद, जिसकी कि अवधि बढ़ाई गई है, के अधिकारों को कम नहीं कर सकता । जहां तक नैतिक अधिकार का सम्बन्ध है संसद ही अपने कानूनी अधिकारों के अनुरूप जनता के कल्याण का ध्यान कर सकती है ।

जहां तक विधेयक के गुणावगुणों का सम्बन्ध है, उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि संविधान में लगातार विकास अनिवार्य है तथा संविधान की जीवंतता की एक अपरिहार्य शर्त है, यह बताया गया है कि जब तक संसद के विभिन्न प्रभुसत्तासम्पन्न अधिकारों को संविधान में वर्णित नहीं किया जाता तब तक इस प्रकार का विकास संभव नहीं है और संसद के ऐसे प्रभुसत्तासम्पन्न विधिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन पर बुनियादी ढांचे में कोई परिवर्तन न कर सकने सम्बन्धी किसी सिद्धांत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । बुनियादी ढांचे का सिद्धांत इतना अस्पष्ट और संदिग्ध है कि यह पता नहीं चल पाता है कि वे लोग बुनियादी ढांचे को बनाये रखने से किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं । यदि बुनियादी ढांचा अपरिवर्तनीय है और यदि संविधान में बुनियादी ढांचा नाम की कोई वस्तु है तो संविधान निर्माताओं द्वारा इस संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने सम्बन्धी अत्यधिक असंदिग्ध और स्पष्ट अधिकार का क्या अर्थ है । यह अधिकार बुनियादी ढांचे का मूल आधार है । यदि यह बुनियादी ढांचा अपरिवर्तनीय है तो संविधान के निर्माण के समय से लेकर अब तक जो इतने संवैधानिक संशोधन किये गये हैं उनका क्या होगा । क्या अब इन सभी संशोधनों की पुनरीक्षा की जायेगी और यह देखा जायेगा कि इनमें से कौन सा संशोधन बुनियादी ढांचे के विपरीत है और क्या उसे रद्द कर दिया जायेगा ? क्या अब कोई भावी अवैधता का सिद्धांत प्रतिपादित किया जायेगा ।

यह कथन मेरी पार्टी के सदस्य का नहीं है । यह बात उच्चतम न्यायालय के उस न्यायाधीश ने कही है जो गोलकनाथ के मामले में न्यायपीठ में था।

संविधान संशोधन के मामले पर संविधान निर्माताओं ने क्या कहा है यह बात महत्वपूर्ण है। प्रेस लोगों का ध्यान जो यह मानते हैं, कि संविधान निर्माताओं ने संसद को संशोधन की शक्ति नहीं दी थी, मैं संविधान निर्माताओं के निम्न कथनों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

संसद की संशोधन करने की क्षमता का उल्लेख करते हुए एक सदस्य ने कहा था:

यह संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं बनी जबकि भारत की भावी संसदें वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जायेंगी। तब भी संविधान सभा को संविधान पास करने के लिये साधारण बहुमत पर्याप्त समझा गया जबकि संसद को वही अधिकार नहीं दिया गया। संशोधन की शक्ति संसद सदस्यों अथवा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के पास है। अधिकांश अनुच्छेद संसद द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं। कुछ ही अनुच्छेद ऐसे हैं जिन पर किये गये संशोधन को राज्य विधान सभाओं का भी समर्थन प्राप्त करना होता है।

यह कहना ठीक नहीं है कि संसद संविधान की कृति है। संविधान संशोधन करने की शक्ति जनता में निहित है। यह शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास है। श्री बी० आर० अम्बेदकर ने कहा था कि आने वाली संसद संविधान में जो कुछ कहा गया है उससे बाध्य नहीं है। अभिप्राय यह कि प्रत्येक अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। मुझे इस बात में सन्देह है कि इस विधेयक का खण्ड 55 पर्याप्त है। और क्या इसमें इस विषय की ओर पूर्णत: ध्यान दिया गया है कि संसद और उच्चतम न्यायालय के बीच भविष्य में कोई विवाद नहीं उठेगा। 1951 से 1967 तक कोई कठिनाई नहीं हुई। तब शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले इस विषय का निर्धारण करते हैं। परन्तु बाद में गोलकनाथ के मामले का निर्णय आया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके पश्चात् केशवानन्द भारती का मामला आया जिसमें संविधान के मौलिक ढांचे का प्रश्न उठा। इस विवाद को समाप्त करने के लिए मेरे 3 प्रश्न हैं।

(1) क्या खण्ड 55 न्यायालय के इस तर्क को मानता है कि 'संशोधन' शब्द के सीमित अर्थ हैं?

(2) क्या इसका अर्थ है कि संसद को संविधान संशोधन का सर्वोच्च अधिकार है?

(3) अनुच्छेद 329क(4) की वैधता के बारे में क्या है क्योंकि उसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है क्योंकि संवैधानिक शक्ति न्यायिक, कार्यकारिणी तथा विधायी शक्तियों से पृथक नहीं है।

संयुक्त समिति अथवा संविधान समिति का विचार हास्यापद नहीं है। मंत्री महोदय को अनुच्छेद 226 के आधार पर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या इस स्कीम को और कठोर बनाया जाए। यह निस्सन्देह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के लेख याचिका संबंधी क्षेत्राधिकार पर नियंत्रण लगाना जरूरी है परन्तु क्या अनुच्छेद 226 के संबंध में खण्ड 38 में 'पर्याप्त' शब्द रखना आवश्यक है।

हमने आपात स्थिति के कारण चुनावों को एक वर्ष के लिए स्थगित किया है। इसका आशय यह है कि हमने कुछ प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाने का कुछ कार्य अपने जिम्मे लिया है। यदि हम संसद की कालावधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दें या उसकी अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने की बात स्वीकार कर लें तो क्या लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा। इस मामले में बहुत तथ्यात्मक रवैया अपनाना होगा।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मुझे उम्मीद है कि शासक दल मेरे कथन को सुनेगा क्योंकि मैं उनके अधिकांश तर्कों का समर्थन कर रहा हूं। कहा जा सकता है कि आपात स्थिति की उद्घोषणा संवैधानिक प्रक्रिया का ही एक अंग है और ऐसा संविधान के अन्तर्गत ही हुआ है। आपात स्थिति से जो लाभ हुए हैं, वे स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। आपात स्थिति को जारी रखने का तात्पर्य यह है कि अभी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, जैसा कि होना चाहिए था। आपात स्थिति के बाद अभी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। जिसमें कि लोग संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर स्वतंत्र तथा निसंकोच चर्चा कर सकें। यदि देश में अभी ऐसी स्थिति है कि लोगों को भय है तो इसका अर्थ यह है कि अभी स्थिति संतोषजनक नहीं है। संविधान निर्माण तथा उसमें संशोधन करने का काम बहुत ही गम्भीर कार्य है। इसलिए जब तक देश में इस पर स्वतंत्र चर्चा नहीं हो पाती तब तक हमें इस पर विचार स्थगित कर देना चाहिए।

श्री गोखले तथा श्री स्वर्ण सिंह ने कहा है कि इस बारे में स्वतंत्र और समुचित बहस हो चुकी है। वाद-विवाद तो अवश्य हो चुका है परन्तु उसके स्वतंत्र तथा समुचित होने पर सन्देह है।

वाद-विवाद के स्वतंत्र होने की परीक्षा सरलता से की जा सकती है। प्रधान मंत्री ने कहा था कि संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। दूसरी मेरा जब यह कहा जाता है कि संविधान में आमूल परिवर्तन होने चाहिए तो मेर जैसे विचार के लोगों पर क्या असर होता है।

आज आपात स्थति के लाभों को बनाये रखने की बात कही जाती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपात स्थिति की कुछ उपलब्धियां हैं। इस अवधि में हमने इतना कुछ प्राप्त कर लिया है जितना दस वर्ष में उपलब्ध नहीं किया जा सकता। साथ ही हमें आपात स्थिति के दुष्प्रभावों पर भी ध्यान देना चाहिए। नेताओं ने इसे कड़वी दवाई बताया है। दवाई भोजन का स्थान नहीं ले सकती। हमें विधेयक पर विचार स्थगित कर देना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि यदि आज भी चुनाव होता है तो प्रधान मंत्री चुनाव अवश्य जीतेंगी।

जिस प्रकार का वाद-विवाद इस मामले पर हुआ है उसका उल्लेख सरदार स्वर्ण सिंह ने कल अपने भाषण में किया है। मुझे पता नहीं है कि श्री गोखले और सरदार स्वर्ण सिंह में कोई मतभेद है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : कोई मतभेद नहीं है।

श्री स्वर्ण सिंह : कोई मतभेद नहीं है।

श्री एस०ए० शमीम : कहा गया है कि 1971 में जनता ने समर्थन दे दिया था। अब प्रश्न उठता है कि सरकार पांच वर्षों के पश्चात् यह विधेयक क्यों पेश कर रही है। इस बारे में उन्होंने जो उत्तर दिया है, वह संतोषजनक नहीं है। संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है जो दो तीन वर्ष चलेगी। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि यह गलत इरादे वाले लोगों के हाथ में पड़ जाये तथा वे बुरे इरादों के लिए इसका उपयोग कर पायें। उन्हें संसदीय संस्थाओं तथा संविधान को उन सिद्धांतों को नष्ट करने के लिए उपयोग में न लाने दिया जाये, जिनका कि हम समर्थन करते हैं।

मेरा कथन यह है कि जनता ने आपको समर्थन दिया है। आपात स्थिति का भी जनता ने समर्थन किया है, ऐसा आप मानते हैं।

जब हर चीज सरकार के पक्ष में है तो फिर व नए सिरे से चुनाव क्यों नहीं करवाते और फिर इन सब बातों पर निर्णय क्यों नहीं लेते? कहा गया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं। किन्तु ऐसी बात नहीं है। क्योंकि संसद को संविधान में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।

श्रीमती माया राय (राम गंज) : कहा गया है कि इस संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं। किन्तु वास्तविकता यह है कि हमें इसके लिए पूरा अधिकार प्राप्त है। किन्तु हमने इस अधिकार का उपयोग ठीक समय पर नहीं किया जैसा कि हमें करना चाहिए था इसलिए हम उसी कार्य को अब कर रहे हैं।

देश की नेता इस विधेयक को लाने में शीघ्रता नहीं बरतना चाहती थी।

उन्होंने वास्तव में इस पर राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद प्रारम्भ किया था। उन पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने अन्य व्यक्तियों के मत को जानने की चेष्टा नहीं की है। कई विरोधी नेता रिहा कर दिये गये हैं यदि वे चाहते तो संसद में वाद-विवाद में भाग ले सकते थे। उन्हें इससे किसने रोका था।

श्री एस० ए० शमीम: सभी को रिहा क्यों नहीं कर दिया जाता?

श्रीमती माया राय: यह प्रधान मंत्री का विषय है।

अब विधेयक हमारे सामने ठोस रूप में है। अब सरकार का इरादा है कि जनता इस महत्वपूर्ण विधेयक के परिणामों को भली भांति सोच समझ ले जिसका उद्देश्य कई परिवर्तन करना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 में मौलिक अधिकारों की तुलना में निदेशक सिद्धांतों को अधिक ऊंचा स्थान देना है। दूसरा प्रश्न न्यायिक समीक्षा तथा प्रशासनिक और अर्थ-न्यायिक पहलुओं की शक्ति के बारे में है।

निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की तुलना में अधिक ऊंचा स्थान देने की बात से वकीलों में कुछ अधिक ही आतंक मचा है। किन्तु ऐसी कोई बात नहीं है।

प्रसिद्ध न्यायविद तथा संवैधानिक विधि के विशेषज्ञ श्री बी० एन० राव ने सिफारिश की थी कि यदि निदेशक सिद्धांतों के अनुसरण में कोई बात की जाती है और यदि यह मौलिक अधिकारों के विपरीत जाती है तो निदेशक सिद्धांतों को अधिक ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय का संबंध किसी व्यक्ति के अधिकारों से है जबकि निदेशक सिद्धांतों का सम्बन्ध समूचे समाज से है। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्री राव ने कहा कि व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में समाज के अधिकारों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

स्पष्टतः व्यैक्तिक हितों के संदर्भ में व्यापक हितों को प्राथमिकता देनी होगी। संविधान सभा प्रवर समिति की मांग की जा रही है लेकिन जो काम हम आज कर रहे हैं उससे हमें विमुख नहीं होना चाहिए। अतः इस विधेयक का पूर्ण समर्थन किया जाना चाहिए।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश): कम से कम वे लोग जो कल्याणकारी राज्य में विश्वास करते है यह समझते हैं कि संविधान स्थाई और कठोर दस्तावेज नहीं है। संविधान को जीवित और

गतिशील होना चाहिए। अतः उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि लोकतंत्र में जनता का आदेश चलता है और वे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से परिवर्तन करा सकती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अर्थात् संसद् को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यह कार्य किसी और पर नहीं छोड़ा जा सकता।

जहां तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संबंध है, मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या की आड़ में इस देश का विधान बदलना चाहेगा या संविधान के विपरीत कोई विचारधारा बनाएगा तो हम निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय संसद् से ऊपर नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय सीधे नहीं कर सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकता।

यह अच्छी बात है कि सरकार 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्षवाद' शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित करने पर सहमत हो गई है। इससे इस देश की सरकार तथा जनता को एक नई दिशा मिलेगी।

जहां तक मौलिक अधिकारों का सम्बन्ध है, ये हमें मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के बीच चल रहे निरन्तर संघर्ष की याद दिलाते हैं। अब हम नीति निदेशक सिद्धांतों की स्थिति और दर्जे को उठाने का प्रयास कर रह हैं। अब उनका मौलिक अधिकारों से कम महत्व नहीं रहेगा। हम उन्हें लगभग मौलिक अधिकारों के स्तर पर ला रहे हैं। इस प्रस्ताव के विरोध में तर्क देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

यह सन्तोष का विषय है कि संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों सम्बन्धी एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। ये दस कर्तव्य दस आदेशों के समान है। किन्तु करों की अदायगी सम्बन्धी विषय को भी एक कर्तव्य के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश भी की थी लेकिन पता नहीं सरकार ने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया।

कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के मामले पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसे कई विषय हैं जो संघ सूची में रखे जाने चाहिए। उदाहरणार्थ अन्तर्राज्यीय नदियों एवं सिंचाई के विषय को संघ सूची में रखा जा सकता है। इस पर प्रस्ताव गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए जिससे नदी जल विवाद सुगमता और शीघ्रता से हल किए जा सकें। सभी अन्तर्राज्यीय नदियों के मामले समवर्ती सूची में लाए जाने चाहिएं।

देश में एकाधिकार गृहों का प्रभुत्व बढ़ रहा है। सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। यदि सरकार की इच्छा हो तो वह समतावादी समाज की स्थापना कर सकती है।

प्रधानमंत्री और विधि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह संयुक्त समिति के विचार को त्यागें नहीं। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए संयुक्त समिति के विचार पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

डा० हेनरी आस्टिन (एरनाकुलम) : संविधान (44वां संशोधन) विधेयक संशोधन की प्रक्रिया में एक युगान्तकारी घटना है जो हमारे गणराज्य की प्राप्ति के प्रथम दिन से आरम्भ हो गई थी। हमारे संविधान में अनेक बार संशोधन हुआ हैं और उससे हमारे संविधान की शक्ति तथा विस्तृत क्षमता का पता चलता है। संविधान अपरिवर्तनीय प्रलेख मात्र नहीं है यह देश के लोगों की सामाजिक विजय

को विधिवत् रूप देने का एक माध्यम है। यदि अब संविधान में व्यापक संशोधन किये जा रहे हैं तो यह देश की जनता के लिए उपहार है जिन्होंने अनेक सामाजिक सफलताएं प्राप्त की हैं। संविधान में शामिल की जाने वाली ये सामाजिक विजय संविधान का वास्तविक महत्व है।

यह तथ्य है कि संविधान सभा बहुत ही सीमित थी क्योंकि उसके सदस्यों का चुनाव व्यस्क मताधिकार द्वारा नहीं हुआ था। कुछ सदस्य तत्कालीन राज्यों के दीवान थे तथा कुछ विधिवेत्ता भी थे जो सामन्तों के प्रतिनिधि थे। उनके लिए नीति निदेशक सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं था। उनका उद्देश्य सम्पत्ति के अधिकार जैस निजी अधिकारों की रक्षा करना था। उस समय देश खून खराबे के दौर से गुजर रहा था। निहित स्वार्थों ने संविधात का लाभ उठाना चाहा। लेकिन अब शाबाश है इण्डियन नेशनल कांग्रेस के गतिमान नेताओं को जो संविधान में संशोधन करके उसमें दो आदर्शों - समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ रहे हैं जिनसे हमें स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा मिली है। समाजवाद से हमारा आशय है कि अधिकांश लोगों को न्याय मिले और पूर्ण एवं समान अवसर प्राप्त हों। इस मुख्य और महत्वपूर्ण संशोधन से देश की गरीब जनता को संतोष मिलेगा।

धर्मनिरपेक्षता ही एक ऐसा शब्द है जो भारत को अन्य देशों की राजनीति से अलग करती है। यदि अन्य विकासशील देशों का संविधान पढ़ा जाए तो कहीं भी हमें यह शब्द देखने को नहीं मिलेगा। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बहुसंख्यक समुदाय की अपसी समझ और उदारता। ऐसे देश में, जहां 85 प्रतिशत जनता एक धर्म को मानती है और जो यह कहती है कि यह देश धर्मतंत्रवादी नहीं है बल्कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की भांति ही पूरी स्वतंत्रता है वहां उस देश के महान, प्रगतिशील और प्रबुद्ध आदर्शों का ही पता चलता है तथा हमारे संविधान में ऐसे आदर्शों को जोड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि समय समय पर घोषित न्यायिक उद्घोषणाओं से हमारे प्रगतिशील विधान में बाधाएं ही उत्पन्न हुई हैं। संविधान (25वां संशोधन) अधिनियम के पास होने के बाद भी न्यायिक उद्घोषणाओं द्वारा हमें यह बताया गया कि संविधान का संशोधन करने सम्बन्धी संसद की शक्तियां सर्वांगीण नहीं हैं और संविधान के मूल स्वरूप में संशोधन नहीं किया जा सकता। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यायपालिका किस प्रकार संसद का दर्जा घटाने में लगी हुई है। यह विधेयक संसद की स्थिति को सर्वोच्च बनाने के लिए पेश किया गया है। मेरे विचार में संसद को संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है।

यह आरोप लगाया गया है कि नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से ऊपर मानने के हमारे प्रयास से अल्पसंख्यकों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सतर्क है।

मैं संविधान संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : (कोयम्बटूर) : वर्तमान विधयक विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में चर्चा का विषय रहा है। यह विधेयक लोकतंत्र की देशभक्त शक्तियों और प्रतिक्रियावाद की राष्ट्र विरोधी शक्तियों के बीच संघर्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णायक पहलू है। इस विधयक में कुछ खामियां भी है और इसलिए हमने कुछ संशोधन भी पेश किए हैं।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है अथवा नहीं, वर्ष 1971 में स्वयं जनता ने संसद को अपना आदेश द दिया था। यह आदेश गरीबी हटाओ कार्यक्रम

के बारे में था। इसी आदेश के आधार पर ही हमने चौबीसवां संविधान संशोधन पास किया था जिससे कि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। लेकिन इस मार्ग में कई बाधाएं प्रस्तुत की गई हैं। इसलिए यह विधेयक लाना अनिवार्य हो गया है ताकि प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर की जा सकें।

इस विधेयक पर दोहरा प्रहार किया गया है। एक है संविधान सभा बुलाने की मांग और दूसरा है संयुक्त प्रवर समिति को विधेयक भेजने की मांग। ऐसी मांग पेश करना विधेयक की प्रगति के मार्ग में बाधा डालना है।

मैं उन सभी खण्डों का स्वागत करती हूं जो विधेयक के उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी कथन के अनुकूल हैं और विशषतया उस खण्ड का स्वागत करती हूं जो प्रस्तावना में है। जिससे हमारी जनता की आंकाक्षांए परिलक्षित होती हैं। लेकिन इस विधेयक में कुछ ऐसे खण्ड भी हैं जो विधेयक के उद्देश्यों के विरुद्ध हैं।

सरकार को संविधान के संघीय स्वरूप का आदर करना चाहिए। अतः देश के किसी भाग में वहां की राज्य की सलाह के बिना सशस्त्र सेना भेजने की शक्ति प्राप्त करना उचित नहीं है।

कार्यपालिका और नौकरशाही को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जा रही है। इस विधेयक का सारांश यह है कि न्यायपालिका पर संसद की प्रभुसत्ता सुनिश्चित की जाए। साथ ही हमें तानाशाही की ज्यादतियों और कार्यकारी प्राधिकरण की ज्यादतियों से भी इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहती हूं कि आखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान किसी प्रकार की जनसभा का आयोजन नहीं करने दिया गया। नौकरशाही को ऐसे अधिकार नहीं देने चाहिएं। इस मामले की गम्भीरता से जांच की जानी चाहिए।

संविधान में संशोधन करने हेतु संविधान सभा का गठन करने की मांग लोकतंत्र विरोधी है। संविधान सभा गठित करने के लिए संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है। किन्तु यह व्यवस्था है कि आवश्यकता पड़ने पर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह संशोधनों का समर्थन करें। संशोधन का विरोध करने वालों से मेरा अनुरोध है कि वे ऐसे कार्यों में योगदान दें जिससे देश प्रगति कर सके।

श्री धरणीधर दास (मंगल दायी): देश को प्रतिक्रियावादी तत्वों तथा निहित सवार्थ वाले लोगों से खतरा है। आपात स्थिति ने हमें इस विधेयक पर चर्चा करने का अवसर दिया है। हमें उन तत्वों से लड़ना है ताकि देश को समाजवाद की ओर ले जाया जा सके।

44वां संशोधन सामाजिक-आर्थिक क्रांति का घोषणा पत्र है। इस विधेयक के पारित होने के बाद संसद भारत को समाजवादी गणतंत्र घोषित कर देगा। यह एक राष्ट्रीय क्रांति है जिसका दोहरा उद्देश्य है—पहला, देश में राजनीतिक स्वतंत्रता एवं दूसरे समाजवाद की स्थापना करना। समाजवाद के भी कई अर्थ हैं और हमें इसके निम्न अर्थों से सावधान रहना है। कई लोग इसे पूंजीवाद के साथ जोड़ देते हैं। हिटलर ने मजदूर वर्ग को धोखा देने के लिए 'राष्ट्रीय समाजवाद' की ईजाद की थी। लेकिन हमें समाजवाद को प्रतिक्रियावादी तत्वों से बचाना है।

जहां तक सम्पत्ति के अधिकार हैं, यह अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्याय में नहीं रखा जाना चाहिये, क्योंकि यह समाजवाद के प्रतिकूल है । यहां पर समाजवाद उत्पादन और वितरण के साधनों पर आधारित होनी चाहिये । इस भ्रम को दूर करने के लिये सम्पत्ति की परिभाषा तीन रूपों में की जा सकती है--वैयक्तिक सम्पत्ति, सामाजिक सम्पत्ति तथा सहकारी सम्पत्ति ।

नौकरशाहों को इस देश का प्रशासन चलाने और अर्थ-व्यवस्था पर अधिकार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । लोकतंत्र में जनता का सहयोग अनिवार्य है । आपात स्थिति से हुए लाभों को समेकित करने और लोकतंत्र को सार्थक बनाने के लिये यह कार्य करना चाहिये ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): मैं इस 44वें संशोधन विधेयक का घोर विरोध करता हूं। 59 खण्डों वाले इस विस्तृत विधेयक में गंभीर और भारी परिवर्तन किये गये हैं । इसे साधारण विधान कहना हास्यास्पद होगा । यह संविधान संशोधन विधेयक नहीं है बल्कि यह संविधान को बदलने का प्रयास है । संविधान की आत्मा का हनन किया जा रहा है ।

संविधान केवल ढांचा मात्र नहीं है । इसके अनिवार्य खण्ड, इसकी आत्मा आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । यदि संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग और इसकी आत्मा को निकाल दिया जाता है तो कंकाल के अलावा और क्या रह जायेगा ।

मूल ढांचे के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि मूल ढांचे का सिद्धांत रहे या नहीं किन्तु उसका आधार और सार सदैव रहना चाहिये । यदि न्यायाधीशों ने यह नहीं कहा है कि मूल ढांचा क्या है तो कम से कम उन्होंने इसका संकेत तो अवश्य ही दिया है । केवल इस कारण कि न्यायाधीश मूल ढांचे को पूर्णतः पहचान नहीं पाये हैं, क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि मूल ढांचा है ही नहीं ?

ये व्यापक संवैधानिक परिवर्तन उस समय लाये गये हैं जबकि इन्हें नहीं लाना चाहिये क्योंकि इनके लिये यह समय उचित नहीं है और यह परिवर्तन करने का यह ढंग और तरीका भी गलत है । वस्तुतः यह संसद ये परिवर्तन नहीं कर सकती ।

हमारे संविधान की प्रस्तावना में वैयक्तिक प्रतिष्ठा के बारे में उल्लेख किया गया है । लेकिन गत 16 महीने से भारत में वैयक्तिक प्रतिष्ठा का उत्तरोत्तर अपमान और निरादर हुआ है और इसका दमन किया गया है । अतः संसद को ये संशोधन करने का कोई जन आदेश नहीं है । विधि मंत्री कहते हैं कि जन आदेश तो 1971 में ही प्राप्त कर लिया था । यदि यह सच है तो सत्ताधारी दल ने गत 5 वर्षों में यह कार्य क्यों नहीं किया ? उसने अब इतनी शीघ्रता में यह कार्य करने का क्यों निश्चय किया है ? सत्ताधारी दल को यह भय है कि उन्हें अगली बार सभा में दो तिहाई का बहुमत प्राप्त नहीं होगा और इसीलिये ये इतनी जल्दी से यह कार्य कर रहे हैं ।

इन व्यापक संवैधानिक परिवर्तनों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा । इस समय और इस ढंग से ये परिवर्तन संसद में नहीं लाये जाने चाहियें । इन परिवर्तनों में स्पष्ट तथा एक बुनियादी और गंभीर त्रुटि है कि इसमें वैधता है ही नहीं । इसमें वैधानिक, राजनीतिक और नैतिक न्याय संगति है ही नहीं ।

यह कहना सर्वथा गलत है कि इस पर स्वतंत्र रूप से वाद-विवाद हुआ है । मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में ही हम इन संवैधानिक उपबन्धों को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहते थे । लेकिन पुलिस आयुक्त

और जिला अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। फिर भी यह कहा जा रहा है कि इस पर स्वतंत्र रूप से वाद-विवाद हुआ है। आज स्वतंत्र रूप से वाद-विवाद के अनुरूप वातावरण ही कहां है? प्रेस की स्वतंत्रता कहां है? क्या यह मंच सभी के लिये उपलब्ध है? क्या जन मंच जनता के अधिकार में है? क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन तंत्र विपक्षी दलों की सेवा में भी उपलब्ध हैं? इन सबका उत्तर है नहीं। यह सारा प्रचार एकतरफा है।

प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्म निरपेक्षता' शब्द जोड़े जा रहे हैं। क्या हम 26 नवम्बर, 1949 को पास की गई प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हैं प्रस्तावना संविधान का ही अंग है, यथायतः नहीं तो यह संविधान का अनुरूप अंग अवश्य ही है। अतः यदि हम प्रस्तावना में आज 'समाजवादी' और 'धर्म निरपेक्षता' शब्द जोड़े तो एक समय आ सकता है जब लोग 'लोकतंत्र' शब्द को भी निकालने की मांग करने लगेंगे।

मौलिक अधिकारों और राष्ट्र की नीति के निदेशक तत्वों में बुनियादी समानता नहीं है। वास्तव में ये एक दूसरे के पूरक हैं। मैं आर्थिक और सामाजिक क्रांति का शत-प्रतिशत समर्थन करता हूं। यदि इसे आज आवश्यक या महत्वपूर्ण समझ लिया जाये तो सरकार सम्पत्ति के अधिकारों संबंधी अनुच्छेद 19 और 31 में स्पष्ट संशोधन क्यों नहीं लाती है और इन्हें मौलिक अधिकारों से क्यों नहीं हटाती है। संसद की सम्पत्ति की अधिकतम सीमा पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। सामाजिक और आर्थिक क्रांति के लिये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों समाप्त की जा रही है?

न्यायिक समीक्षा और न्यायिक जांच समाप्त कर दी गई हैं। अनुच्छेद 31(ख) और नवम् अनुसूची का प्रावधान है। ये दोनों मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये काफी है। नवम् अनुसूची में मूलतः 13 विधेयक हैं जिनमें अधिकांश कृषि सुधारों, जमींदारी और भूस्वामित्व के बारे में हैं। लेकिन अब सरकार ने इस अनुसूची में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य अधिनियम शामिल किये गये है जिनसे समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा है। इसमें अब 124 विधेयक हो गये हैं। इससे अधिक घातक और अलोकतंत्री बात और क्या हो सकती है।

कर्तव्यों संबंधी अध्याय जोड़ा गया है। लेकिन विधायकों और संसद सदस्यों के कर्तव्यों के बारे में क्या किया गया है? नरेशों, बड़े-बड़े व्यक्तियों के कर्तव्यों का क्या किया गया है? उनके तो कोई कर्तव्य ही नहीं है।

केन्द्र और राज्यों के संबंध केन्द्र के हित में परिवर्तित किये गये हैं जिनसे संघीय ढांचा ही नष्ट हो गया है। अब केन्द्र राज्य की सलाह लिये बिना वहां सेना तैनात कर सकता है। संसद सदस्यों की योग्यता के बारे में निर्णय केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। सदस्यों की सदस्यता की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है। हमें जनता के सामने जाने से डरना नहीं चाहिय। जनता तो हमारी शक्ति है।

राष्ट्रपति के पद को यह व्यवस्था करके बहुत नीचा कर दिया गया है कि उसे हर कदम पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह माननी होगी।

संविधान में कुछ ऐसी बातें है जो जनमत संग्रह या जन इच्छा के अनुकूल नहीं हैं। ये अक्षुण्ण मानवीय अधिकार हैं। उन्हें समाप्त कर इस कार्य को लोकतंत्री कहना उचित नहीं है।

हमें संविधान का संशोधन शीघ्रता से और ऐसे गलत ढंग से नहीं करना चाहिये। हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने चाहियें। जनता से हमें शक्ति मिलेगी। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह बड़े गलत समय और गलत ढंग से लाया गया है।

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे सामने यह काम था कि निर्धनों की दशा में सुधार किया जाये तथा देश में विद्यमान गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया जाये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर संविधान में मूल अधिकार और निदेशक तत्व रखे गये थे। परन्तु मूल अधिकारों की भांति निदेशक तत्व कानून द्वारा लागू नहीं हो सकते थे। हमने देखा कि मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों का आपस में टकराव हो रहा है। इसीलिये निदेशक सिद्धांतों को इस विधेयक में मूल अधिकारों की तुलना में प्राथमिकता दी गई है, जिससे काम सुचारू ढंग से हो सके तथा हम अपना उद्देश्य शीघ्र प्राप्त कर सके।

जब विपक्ष विधेयक का उचित आधार पर विरोध नहीं कर सका तो उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि संविधान में संशोधन करने का यह समय और यह ढंग आपत्तिजनक है।

विपक्ष ने यह भी कहा है कि हमें पहले जनता के समक्ष जाकर चुनावों का सामना करना चाहिये और हम तभी संविधान में संशोधन कर सकते हैं। मैं उन्हें यह याद दिला दूं कि 1971 में हमने लोगों से कहा था कि हम जनता की दशा में सुधार करने के लिये संविधान में संशोधन करना चाहते है और भारत की जनता ने हमें यहां भेजा। कुछ लोगों ने कहा है कि हम इतने समय बाद ये संशोधन क्यों ला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हमने और संशोधन किये है तथा यह प्रक्रिया अभी चल रही है।

मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि संविधान में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता देने, कर्मचारियों को उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार बनाने तथा वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा और सुधार का उपबन्ध किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 228क में शामिल किये जाने वाले खण्ड 42 में कहा गया है कि राज्य विधान को संवैधानिक रूप में दो तिहाई न्यायाधीशों से कम के बहुमत से रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों की संख्या 5 रखी गई है। सामान्य बहुमत के लिये 5 की संख्या ठीक है परन्तु दो-तिहाई बहुमत में इस संख्या को सरलता से भाग नहीं किया जा सकता। इसलिये इसे बढ़ाकर 6 किया जाये। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 9 कर दी जाये।

इन शब्दों के साथ मैं संशोधनों का समर्थन करती हूं।

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki): This is an historic measure which has been brought forward very timely. It is under the leadership of Congress Party that far-reaching economic and social changes have been brought in this country. It is under the leadership of the present Prime Minister that revolutionary measures like Bank Nationalisation Bill and Privy Purses Bill were passed. Therefore, it befits the glorious tradition of Congress Party that this momentous Bill has been brought forward.

The Preamble has been amended so as to include the words 'socialist' and 'secular'. These words reflect the true wishes and aspirations of the people. Therefore, this change is welcome.

Provision has also been made to curb anti-national activities through this Bill. We have seen that undemocratic and anti-national forces created chaos and anarchy in the country during the last 2-3 years. Therefore, such provision is welcome so that these forces cannot raise their ugly head again.

The concept of 'duty' is a welcome change and it befits our national culture. We have always given precedence to duty over rights. So this change is perfectly in tune with our national culture.

Bureaucracy needs to be firmay curbed. They should not be allowed to rule over the masses and defeat the socialistic objectives. Government servants should be taught to serve the people and not to boss over them.

Congress Party is not afraid of going to polls. But the immediate necessity is to consolidate the gains of Emergency so that the 20-point programme and the 5-point programme can be implemented expeditiously. I strongly support the Bill.

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): The Constitution needed a drastic change so that the hurdles in the way to our economic and social progress can be effectively removed. Our Constitution is a hurdle in the social and economic revolution particularly the vested interests create obstructions in the way to social and economic revolution in the name of fundamental rights. Therefore, these amendments are necessary.

It is necessary to make radical changes in the Constitution. That is why this Bill has been brought forward. Parliamentary democracy is the product of capitalism. Articles 19 and 31 which deal with the right to property protect the capitalist and bureaucrats and are the root cause of all evils. So being as this right to property is not removed, we cannot ameliorate the lot of the poorer sections of our society. But these articles have not been touched. This shows that the amendment Bill has not been brought with a view to effect social and economic transformations. This Bill has been brought with political motive. The property rights in Articles 19 and 31 have been side-tracked very cleverly.

The Parliamentary Democracy depends on elections and elections require money. Money can not be had from poor people. The capitalists have their influence over the bureaucracy. Why cannot the Government do away with the property rights of these people. This Bill has been introduced by Shri Gokhle, but its real architect is Shrimati Indira Gandhi. The 44th Amendment Bill is a political measure.

This Bill empowers the Central Government to send their armed forces to any of the States without its approval. The definition of anti-national activities in this Bill is very wide. Today, the power is in the hands of Shrimati Indira Gandhi. But it should be realised that power would not remain in her hands for all times. This provision can be mis-used by the ruling party. Power has been used even against persons who had been in the Central Cabinet. There are so many people in this House who can be declared anti-national.

How will the provision of quorum arrangement help in bringing about socio-economic revolution?

In this Bill, duties have been enumerated. This step has received a lot of praise. I do not understand what is new and positive about these duties. In fact most of the citizens already abide by these duties. In my amendment, I have suggested duties like use of country-made goods, compulsory military training to youth, use of Indian languages, limit of Rs 25,000/- with an individual either at home or in the bank, prohibition in keeping ornaments in safe deposit vaults, restriction of gold ornaments upto 10 tolas with a woman, surrender of surplus gold or ornaments to the Government, keeping away from corruption, black marketing, profiteering and other immoral behaviour.

This House has no right to consider this amending Bill. A Constituent Assembly should be convened because far-reaching changes are being made in the Constitution through this Bill.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : यह सच है कि कोई भी संविधान शाश्वत नहीं है। फिर हमारे देश जैसे विकासशील देश का संविधान तो शाश्वत हो ही नहीं सकता। कोई भी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी

को बांध नहीं सकती। जिस संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता वह अंततः कागज पर धरा रह जाता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हमारा संविधान कोई महत्वहीन वस्तु है। जैसा पंडित नेहरू ने कहा था, हमारा संविधान एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। यह समय की आवश्यकता पर पूरा उतरा है। इसने सभी प्रकार के भार और दबाब को सहा है। हमने हमारे राष्ट्रीय जीवन की बड़ी-बड़ी उथल-पुथल देखी हैं और इसने उन चुनौतियों का सामना किया है तथा उसमें सफल रहा है। हमारे संविधान के अन्तर्गत उथल-पुथल से भरा गणतंत्र 25 वर्ष तक चला है। इसी संविधान के रहते हमने आधुनिक भारत का निर्माण किया। इसलिए, संविधान में जब भी कमियां सामने आई हैं हमने उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह संविधान इस देश की भावना के सर्वथा अनुकूल है, यह सभी प्रकार की स्थिति का सामना करने में सक्षम है और इस देश की जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं का प्रतीक है। एक नए संविधान की बात करना भानुमती का पिटारा खोलना है और स्थिति में अस्थिरता पैदा करना है।

हमारे संविधान की कुछ कमियां भी हैं। यह हमने अनुभव से देखा है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उन कमियों और रुकावटों को दूर करना है जो सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के आड़े आती हैं। भारत के संविधान का प्रथम संशोधन सम्पत्ति के अधिकार के बारे में किया गया था। जो कि जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर आवश्यक हुआ। बाद में गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। प्रिवी पर्सों तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में भी न्यायपालिका सामाजिक-आर्थिक सुधारों में बाधक बनी। न्यायपालिका हमारे संविधान की संरक्षक है। परन्तु संविधान में संशोधन का अधिकार संसद का है, न्यायपालिका का नहीं। न्यायपालिका कुछ ऐसे अधिकार अपनाती जा रही थी जो इसके अधिकार-क्षेत्र के बाहर थे।

सन् 1971 का चुनाव एक प्रकार का जनमत संग्रह ही था जिसमें जनता से वादा किया गया था कि संविधान का संशोधन किया जायेगा। उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संविधान से सम्पत्ति का अधिकार समाप्त किया जायेगा। हमारे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में सबसे बड़ी रुकावट सम्पत्ति का अधिकार है। यह प्रस्तावना में अब रखे जा रहे उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। हमारा कहना है कि यदि मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष होता है तो निदेशक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। यह अच्छा है परन्तु संघर्ष इसके अलावा और है किसके बीच? हम जो भी समाजवादी आर्थिक कदम उठाना चाहते हैं उनमें रुकावट केवल सम्पत्ति का अधिकार ही है। यदि वह हट जाता है तो सब ठीक हो जाएगा।

निदेशक सिद्धांतों तथा मूल अधिकारों के बीच कोई विरोध नहीं है। मूल अधिकार कभी भी निदेशक सिद्धांतों के मार्ग में कठिनाई बनकर नहीं आये। जमींदारी उन्मूलन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण या किसी भी अन्य मामले में जो भी कठिनाई प्रस्तुत हुई वह सम्पत्ति के मूल अधिकार के कारण समाजवादी आर्थिक सुधार और राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए भाषण, प्रकाशन, सभा करने आदि की स्वतंत्रता देना अनिवार्य है। समाजवाद केवल गणतांत्रिक साधनों से ही लाया जा सकता है और इसलिए मूल अधिकार आवश्यक हैं। मूल अधिकारों और संसदीय प्रणाली के द्वारा ही हम निदेशक सिद्धांतों में निहित, उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। सम्पत्ति का अधिकार समाप्त करने पर मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। इसलिए मूल अधिकारों के अध्याय से सम्पत्ति के अधिकार को हटा देना चाहिए।

श्री कार्तिक उरांव (लेहारडगा) : मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि संविधान निर्माताओं ने हमें लिखित संविधान प्रदान किया। ब्रिटेन में अभी तक भी लिखित संविधान नहीं है।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए।
Shri Ishaque Sambhali in the Chair.]

संसदीय प्रणाली की सरकार में संसद सर्वोच्च होती है। कोई भी संसद अपने उत्तराधिकारी को बांध नहीं सकती। जनता का समर्थन प्राप्त करने पर ही संसद का समर्थन प्राप्त होता है जिसके बिना कार्यकारिणी को शक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी संसद समय की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त सक्षम हो चुकी है। अतः यह विधेयक बहुत ही उचित समय पर पेश किया गया है।

हमारा दल और प्रधान मंत्री देश में समाजवादी आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए अनथक प्रयत्न कर रहे हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में तेजी लाने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। नई संविधान सभा गठित करने और विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। विधेयक का विभिन्न स्तरों पर गहराई से अध्ययन किया गया है। कुछ लोगों का तो कहना है कि विधेयक को अभी और इसी वक्त पास कर दिया जाए। यह एक सही दिशा में सोचना है। न्यायालय के मामले निपटाने में शीघ्रता की जाए। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जाए। जब तक यह नहीं किया जाता हम निर्धनों के साथ न्याय नहीं कर सकते।

गोलकनाथ के मामले के निर्णय के परिणामस्वरूप हमें 24वां संविधान संशोधन लाना पड़ा जिसमें व्यवस्था की गई थी कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन कर सकती है।

पंडित नेहरू ने संविधान के प्रारंभ में ही कहा था कि बदलते हुए हालात के साथ संविधान भी बदल सकता है। परन्तु कुछ लोगों का मत है कि इन परिवर्तनों के लिये संविधान सभा बुलाये जाने की आवश्यकता है। कुछ व्यक्तियों का मत है कि विधयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए परन्तु इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

कुछ अन्य व्यक्तियों का मत है कि संविधान के प्रारूप को पुनः तैयार किया जाना चाहिए। यह कार्य बाद में भी किया जा सकता है। अन्य लोगों का मत है कि विधेयक को अभी पारित किया जाना चाहिए।

यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसका कमजोर वर्गों के कल्याण कार्यों से संबंध है। मुफ्त कानूनी सहायता से भी जरूरी न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाना है।

इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि संविधान के उन अनुच्छेदों पर जिनका हरिजनों के कल्याण कार्यों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष संबंध है, विशेष ध्यान दिया जाये।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagpur): I am in agreement with the arguments advanced by the Law Minister and Sardar Swarn Singh in support of the Bill. This is a step in the right direction as it would help in bettering the lot of the common people. We have to change the Constitution to suit the needs of the changing times. I feel that many more amendments are needed to meet the needs of the country.

We have included the word 'socialism' in the preamble. We do not want to adopt for our country the socialism of any other country.. We have a population of 60 crores and every year the population is increasing by 2 crores. Family planning and population control are being included in the concurrent list. We have to pay special attention to the problem of population control. It is only recently that some substantial work has been done in this regard. Parliament would have to enact a law for compulsory family planning. As we have limited resources, family planning is of almost importance to the country.

Even our water resources are limited. We get 400 million hectare meters of water through rains, out of which we utilise 60 million hectare meters and the rest goes to the sea unused. In order to make use of 105 hectare meters more of water. We need an expenditure of Rs. 30 thousand crores. If we do not give attention to all these matters today, it would be difficult for us tomorrow.

My State has numerous mineral resources, but we do not have the means to explore them. This subject is under State list. Then comes the public of the country. I here heard the views expressed by my Communist friends. They have repeatedly pleaded for abolishing the right to property. But may I ask them whether it will be of any use? Can they cite any example where economic disparities were removed by abolishing the right to property? We are all in favour of removal of all economic disparities. There should not be such a wide gap between the rich and the poor. But we cannot achieve these ends simply by removing right to property, because that will make the individuals initiative. I feel that we should usher in socialism by retaining incentive for an individual, which should suit our society's equirements. By hidding farewell to the right of property, we cannot bring in socialism.

I am in favour of a strong Centre. We may continue to have the federal structure of our constitution but the duties of Centre and States should be refined. Their relations need a fresh look and if need be we should amend the constitution for that purpose. We have got the mandate of the people. We also gave a promise to the people for changes in the Constitution. So a Constituent Assembly should be convened to consider in depth varions aspects of our Constitution. To facilitate useful amendments, the Constitutions of other countries should be studied.

Some of my friends have asked for early elections but I may tell them that they will not gain anything out of it. (*interruptions*) They want early elections for their selfish ends only (*interruptions*). With these words, I support this Bill.

Shri R. R. Sharma (Banda): The present Constitutional Amendment Bill has rightly been regarded as an historic one and it has been moved at very appropriate time. It is fully justifed on moral, political and constitutional considerations. It has been contended by some of my friends that it was not proper to bring forward this Bill at the fag end of this Parliament. But in this connections my submission is that the life of present Lok Sabha was extended in accordance with the provisions of the Constitutions. So all the Bills passed by this Lok Sabha are valid and there is nothing unconstitutional about it.

It has also been contended by some Members that our Parliament is not competent to change the basic structure of the Constitution. But I may make it clear that Parliament is fully competent to amend any part of the Constitution in the public interest.

Lastly, I welcome the inclusion of the chapter on fundamental duties. In this regard my submission is that prohibition should also be given a place among the fundamental duties. With these words

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Speaker in the Chair.]

I Support this constitutionial (Amendment) Bill and urge the House to pass the same with thumbing majority.

प्राधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत विधेयक की महत्ता से भलीभांति अवगत हूं। आज से 16 मास पूर्व मैंने देश में स्वस्थ्य लोकतंत्र के आवश्यकता की बात की थी।

सदन के समक्ष यह विधेयक भले ही पूर्ण नहीं है और बहुत से सदस्यों ने इसे अधूरा कहा है, लेकिन हमारी राजनीतिक व्यवस्था की कुछ बुराइयों की समाप्ति के लिए यह आवश्यक कदम है। इससे हमारे देश की शक्ति और बढ़ेगी तथा हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमत बढ़ेगी और हमारी जनता की आशाएं बढ़ेगी। लेकिन मुझे कुछ राजनीतिक दलों के रवैये पर भारी खेद है। उन्होंने संशोधन पर पूर्ण चर्चा करने की मांग की लेकिन वे संसद से जो ऐसी चर्चा करने के लिए सर्वोच्च मंच है, दूर ही रहे। ऐसे पलायनवादी दायित्व की सराहना करना कठिन ही है। संसद से असहयोग करना जनता से असहयोग करना है। अतः असंतुष्ट विपक्षी दलों को अपना नकरात्मक रवैया एवं विरोध त्याग कर विवेक और दायित्व के पथ पर अग्रसर होना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने प्रश्न किया है कि हम ने यह संशोधन लाने के लिए इतने अधिक समय तक प्रतीक्षा क्यों की। सदन को पता है कि हमने पहले भी संविधान में संशोधन किया है। बाह्य और आन्तरिक अवरोधों और अप्रत्याशित कठिनाइयों के बावजूद हमने अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया है। हमारे इस वैध कार्य, जिससे यह कार्यवाही आवश्यक हो गई है, में इस तरह अवरोध पैदा करना विपक्ष द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का दुरुपयोग करना है।

जो अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हैं उन्हें देश के लाखों लोगों की दबाई गई आवाज के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। जो लोग आज लोकतंत्र के लिए ऐसी गंभीर चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, इनमें से कितनों ने राजनीतिक बेईमानी, घृणा, हिंसा आगजनी और हत्या के विरुद्ध हस्ताक्षर करवाये हैं या आवाज उठाई है? और यदि उन्होंने सा कुछ किया भी है तो बहुत अस्पष्ट रूप से तथा हमारा ध्यान उधर दिलाने के लिए कुछ नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आनन्दमार्ग की यहां भूमिगत अशोभनीय कार्यवाहियों के बावजूद वे कई अन्य देशों में शाखाएं खोल रहे हैं और बहुत वित्तीय लाभ ले रहे हैं। क्या विपक्ष ने यहां यह प्रश्न किया है कि उन वर्षों के दौरान लोकतंत्र के प्रति इनका क्या योगदान रहा है?

बहुत से सदस्यों ने संविधान से सम्पत्ति संबंधी धारा हटाने पर जोर दिया है। आज हम निदेशों या आशयों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वास्तविक कार्यवाही पर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यों को वह समय याद होगा जब कांग्रेस दल ने सहकारी खेती के लिए प्रस्ताव पास किया था। उस प्रस्ताव में किसी से भूमि लेने की बात नहीं कही गई थी और न ही चकबन्दी की बात थी। लेकिन इसका इतना जोरदार प्रचार किया गया कि यह मामूली सा कार्यक्रम आगे बढ़ ही नहीं सका। हम जानते हैं कि जिनके पास थोड़ी सी भी सम्पत्ति है उनमें ऐसी गलतफहमी फैलाना कितना आसान है। संभवतः यह गलतफहमी उन्होंने फैलाई जिनके पास अधिक सम्पत्ति है, लेकिन चाहे जो भी हो, इससे कम सम्पत्ति वालों को अधिक परेशानी हुई कि उसकी सम्पत्ति छीन ली जायगी। अतः हमारी सावधानी को गलत नहीं समझना चाहिए क्योंकि इससे हमारे कार्यक्रमों की क्रियान्विति कठिन हो जाएगी। 20-सूत्री कार्यक्रम और 5-सूत्री कार्यक्रम व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं और देश की प्रगति में अत्यावश्यक हैं। ये उन अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए भी जरूरी हैं जिन्हें हम कार्यान्वित करना चाहते हैं।

जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है, इसमें किसी को तंग या किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। किन्तु हमारा दृढ़ विश्वास है नसबन्दी कार्यक्रम और जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के दूसरे कारगर उपाय अपनाना बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। हमारा मत है कि अब इन कार्यक्रमों को स्वीकार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में जागृति पैदा हो गई है। लेकिन कुछ दल, गुट और लोग भय पैदा कर रहे हैं और भ्रांति तथा शोरशराबा मचा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भय पैदा होने से अविवेकपूर्ण कार्यवाही होती है। अतः जब भी जानबूझकर विवाद की स्थिति पैदा की जाती है तभी उसके परिणाम दुःखद होते हैं। गोलियां चलने से कुछ व्यक्ति मारे गये लेकिन कुछ सदस्यों ने मरे हुए व्यक्तियों की संख्या बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताई है। दूसरी ओर सुसंगठित दलों ने पुलिस वालों तथा अन्य नागरिकों की, जो परिवार नियोजन अभियान में भी नहीं थे, हत्या की है। जहां कहीं लोग इस सम्बन्ध में लोगों को तंग करेंगे उन्हें सजा दी जानी चाहिए। लेकिन यदि लोगों को उकसाया नहीं जाए और कानून अपने हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाए तो यह कार्य सरल हो जाएगा। लोगों को इससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

हमने यह भी देखा है कि कुछ राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय सम्पत्ति सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां पैदा की थीं। अतः केन्द्र और केरल सरकार के बीच इस प्रकार का कोई भी संघर्ष नहीं था।

कई सदस्यों ने सरकार के उद्देश्यों और राष्ट्रनिर्माण की समस्याओं के बारे में विचार प्रकट किये हैं। कुछ अन्य सदस्यों तथा श्री गोखले ने कहा है कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में चेतावनी दी थी कि भावी पीढ़ी को बांध कर नहीं रखना चाहिये। श्री नेहरू जानते थे कि देश में तेजी से परिवर्तन आयेगा। उन्होंने स्वयं इस परिवर्तन को जन्म दिया था। सदन को पता ही है कि संविधान में पहला संशोधन तो संविधान के स्वीकार किये जाने के कुछ ही महीनों के बाद किया गया था।

माननीय सदस्यों को यह भी याद होगा कि जब संविधान सभा चल रही थी तब भी अनेक संशोधन जैसे राज्यों की एकता आदि संशोधन लाये गये थे। उस समय बहुत सी धाराओं का संशोधन किया गया था। अतः बदलती हुई परिस्थितियों में संशोधन और परिवर्तन करना हमारे संविधान का आवश्यक अंग है। जो लोग संविधान को कभी न बदलने वाले ढांचे में स्थिर करना चाहते हैं वे हमारे संविधान की भावना को नहीं समझते और नये भारत की आत्मा से तो वे सर्वदा अनभिज्ञ हैं।

संविधान की आत्मा क्या है आदि आदि सिद्धांत चर्चा के दौरान प्रस्तुत किये गये हैं। अनेक सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। वास्तव में जनता ही वास्तविक प्रभुसत्ता है। फिर भी संविधान अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है लेकिन यह जनता की सेवा के लिए ही है। जनता को इसका आदर करना ही चाहिए लेकिन इसके लिए उनका बलिदान नहीं किया जा सकता।

यह कहना बिलकुल गलत और अन्यायपूर्ण है कि संविधान में संशोधन कांग्रेस पार्टी के हित में ही किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने सदैव देश के हित को सर्वोपरि रखा है। कांग्रेस ने जिस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संग्राम करने में पहल की उसी प्रकार संविधान का मसौदा तैयार करने में भी पहल की है। डा० अम्बेदकर ने यह बात स्वीकार की है कि कांग्रेस दल के अनुशासन के कारण ही मसौदा तैयार करने वाली समिति संविधान को संविधान सभा में पेश कर सकी। कांग्रेस उसी अनुशासन और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर काम करती आ रही है।

वास्तव में संविधान ऐसा होना चाहिए जिससे कानून और व्यवस्था तथा स्थिरता पैदा हो। वह यह सुनिश्चित करे कि सरकार के सभी अंग जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी हों। इससे सभी पर प्रतिबन्ध भी लगें। यही कानून और व्यवस्था का सार है। स्थिरता तथा उत्तरदायित्व और कानून की भावना तभी आ सकती है जब कि विधान मण्डल, कार्यपालिका और न्यायपालिका बदलती हुई परिस्थितियों और जनता की आकाक्षांओं एवं इच्छाओं का आदर करें तथा वर्तमान विधेयक में यही उपबन्ध किया गया है। यह लोगों की आकांक्षांओं के अनुरूप है और वर्तमान तथा भविष्य की यथार्थ परिस्थितिओं को परिलक्षित करता है।

इस विधेयक को हड़बड़ी तथा जल्दबाजी में नहीं लाया गया है। इसे लाने में बहुत सावधानी बरती गई है। बहुत से संशोधन तो वहीं हैं जो जवाहरलाल नेहरू समिति ने 1954 में सुझाये थे अतः वास्तव में इन पर पिछले 20 वर्षों से विचार होता आ रहा है। उसे यह नहीं कहा जा सकता कि उसके लाने में बहुत जल्दबाजी की गई है।

आलोचना की गई है कि हम कार्यपालिका के प्रभुत्व को बढ़ाना चाहते हैं। हमने ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया है, जो अस्पष्ट हो। हमनें सभी कुछ स्पष्ट कर दिया है। संसदीय प्रणाली के अध्ययन से पता चलता है कि हमारी प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका ही कार्यपालिका है। सभी मन्त्री संसद सदस्य हैं और उन्हें प्रतिदिन संसद में आना होता है।

ब्रिटिश प्रथा के पूर्वोदाहरण की बार-बार चर्चा की गयी है और संसद् में सन्निहित प्रक्रियाओं के माध्यम से संविधान में संशोधन करने सम्बन्धी हमारी संसद् के अधिकारों को चुनौती दी है लेकिन वह यह भूल गये हैं कि ब्रिटिश संविधान में साधारण कानून द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। हमने तो पहले ही यह माना है कि संसद् को संविधान में संशोधन करने का निर्विधन सम्पूर्ण और अकारण अधिकार है। हम बुनियादी ढांचे के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि केवल संविधान सभा ही संविधान में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार के विचार उस समय भी उठाये गये थे जब संविधान का मसविदा तैयार किया जा रहा था। लेकिन तब भी उन्हें अस्वीकार कर दिया था।

आलोचनाएं गलतफहमियों के कारण हो रही है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह स्पष्ट कह सकती हूं कि व्यक्तिगत अधिकारों में कोई कटौती नहीं की गई है। व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने वाली न्यायिक शक्ति को न खत्म किया गया है और न कम किया गया है। राष्ट्रपति को संविधान में संधोशन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। कठिनाइयों को दूर करने वाली धाराएं तो सामान्य संरक्षण हैं। कर्तव्य का उध्याय संविधान में सम्मिलित करने से लोगों के अधिकार कम नहीं होंगे बल्कि लोकतंत्रात्मक सन्तुलन स्थापित होगा। हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के साथ निदेशक सिद्धान्तों की व्याख्या करने के लिए बहुत निदर्शनीय है। कर्तव्यों का पालन किए बिना इनका कोई लाभ नहीं।

आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों सम्बन्धी धारा का प्रावधान विपक्षी दलों को समाप्त करने के लिए ही किया गया है। यदि कांग्रेस यह चाहती तो वह ऐसा 1947 में ही कर देती। यह तो बाद में भी किया जा सकता है। लेकिन हमारे दल की तरह कहीं भी कोई दल विपक्षी

दलों के प्रति सहनशील नहीं रहा है। हमने कांग्रेस विरोधी या सरकार विरोधी गतिविधि को राष्ट्र विरोधी नहीं माना है और अब भी नहीं मानते हैं।

कहा गया कि राष्ट्रविरोधी क्या है? भारत को खण्डित करने का प्रचार, साम्प्रदायिक या क्षेत्रीय घृणा उकसाना और हिंसा राष्ट्र विरोध है। राष्ट्रीय संस्थानों को क्षति पहुंचाना राष्ट्र विरोधी है। हम वैध कार्मिक संघ गतिविधि का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन कार्मिक संघ गतिविधियों को हिंसा, तोड़फोड़, के लिए आवरण के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए।

इस विधेयक के विरोध में बोलने वाले सदस्य लोकतंत्र के बारे में तो न्यायसंगत बाते करते प्रतीत होते हैं। लेकिन उनका भाषण उस समय न्यायसंगत नहीं लगा जब हमने यह जाना कि उन्होंने सदन में ही नही बल्कि देश के बाजरों में क्या किया और क्या करना चाहते थे। मेरी राय में उनकी यह कार्य-वाही संसदीय प्रक्रिया नहीं थी। और न ही संसदीय गरिमा या लोकतन्त्र था जिसकी पूर्वजों ने कल्पना की थी।

संविधान के निर्माता और हमारे देश के निर्माता भारतीय समाज को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी बनाना चाहते थे। ये कोई नई परिभाषा नहीं है। वे हमारे विधान का मार्गदर्शन करते रहे हैं। अब हम उन्हें अपने संविधान में अन्तःस्थापित करना चाहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में इस तथ्य के उल्लेख करने से हमारी जनता, सरकार, न्यायपालिका और विश्व को मार्गदर्शन मिलेगा।

विधेयक का उद्देश्य उन असंगतियों और असमानताओं को दूर करना हैं जो बहुत पहले ही दूर की जानी चाहिए थी तथा उन कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करना है जो आर्थिक और राजनीतिक निहित स्वार्थों द्वारा पैदा की गई थीं। जो संशोधन हम लाये हैं वे नवीकरण के रूप में ही है। हम नया सदन नहीं बना रहे हैं।

संविधान में महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू की शांतिपूर्ण क्रान्ति अन्तरनिहित हैं। शांन्तिपूर्ण क्रान्ति वह क्रान्ति है जो निरन्तर गतिशील रहती है। इस विधेयक से हमारे सभी लक्ष्य पूरे नहीं होगे। बल्कि इससे भारतीय क्रान्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे हमारी जनता अपने को अधिक स्वतंत्र अनुभव करेगी और उसमें अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने की भी शक्ति आयेगी। संविधान न्यायिक जांच या समीक्षा से महान् है और यह इतिहास की जांच है तथा ऐतिहासिक शक्तियों की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। राष्ट्र हम सब से सर्वोपरि और महान् है यही इस विधेयक का महत्व है।

अध्यक्ष महोदय : सभा आठ बजे शाम तक बैठेगी। विधि मंत्री कल सुबह उत्तर देंगे जिसके बाद मतदान होगा। अतः माननीय सदस्यों को मतदान के दौरान उपस्थित रहना चाहिए क्योंकि दो तिहाई मत जरूरी हैं।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): Attainment of not only political but also economic freedom was the central idea behind Karachi resolution of the Congress Party. Subsequest sessions of the Congress Party particularly Avadi and Bhuvaneshwar also highlighted this objective of the Congress. We have been continuously trying to bring about socialism in the country. Pandit Nehru once said that constitution is not so rigid a document which can not be amended and that it can be amended as and when necessary.

[श्री जी० विश्वानाथन् पीठासीन हुए
Shri G. Vishwanathan in the Chair]

So many judgements of the courts involving fundamental rights came from time to time. Golakhnath case and Keshwanand Bharti case figures prominently among such cases. The term 'basic structure' figures no where in the constitution.

We have put the word 'socialism' in the Preamble so that there should not be any type of ambiguity. Preamble is the mirror of our constitution which shows what path we want to follow. Those who are opposed to the Amendment of the Constitution should realise that it can never be rigid. It must go on changing in accordance with the aspirations of the people.

I have recently received a telegram from the Indians living in U.K. saying that India being a secular state, formation of political associations and parties like Jana Sangh, Akali Dal and Muslim League based on religion is in flagrant violation of the constitution. It is time attention is paid to the matter. Association and parties should only be formed on social and economic programmes.

It is also necessary that the misuse of civil liberties which we witnessed 1 1/2 years back should never be repeated. Those who want to disturb the peace of the country are anti-national and should be put down with a heavy hand.

We have seen that during the Emergency not only the growth rate has increased but we also found stability all round the country. People in different fields are doing their work and the profits of public sector has gone up. These were clear gains of emergency. We have to ensure that this progerss is maintained.

Some people raised the question of language. What should be the language of the Union it has been mentioned in Article 343. The language of the courts is English. If along-with English Hindi is also made the court language there is nothing wrong in it. We are not against English; we only want that the use of Hindi should also be allowed.

The Prime Minister has given us 20-Point Programme for the economic development of the country. If this programme is to be continued and taken ahead the constitution has to be amended.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): I support the constitution (44th Amendment) Bill. It is said that the right to property must be retained under the fundamental right. But if it is retained, it will jeopardise the interests of many other people.

Certain vested interests and capitalists have always put hardles in the implementation of prograssive measures which aim at bringing about socio-economic revolution in the country. Then, the judiciary has also joined them. Measures have to be taken to ensure that judiciary extend their cooperation in implementing progressive legislation. At the same time, it has also to be ensured that Government machinery is adequate to implement it. Article 311 of the constitution improes some restrictions on officials, but the protection that has been given to I.A.S. and I.P.S. Officers should be withdrawn. Our bureaucracy should be committed to implement the measures for the welfare of the people.

Government deserve, tributes for having added a new chapter enumerating the fundamental duties of the citizens. It is quite appropriate that citizens should be made aware of their duties, because the country cannot make progress unless the citizens are conscious of their duties.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : जहां तक स्वर्ण सिंह समिति के फार्मूले का सम्बन्ध है, उसकी सिफारिशों में काफी अन्तर कर दिया गया है । अनुच्छेद 31(ग) का संशोधन करके उसे व्यापक बनाया गया है जिससे कि निदेशक सिद्धांतों को लागू करने वाले कानून उसके अन्तर्गत आ सकें। ऐसे कानून को भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किये जाने के आधार पर अदालत में जांच नहीं की जायेगी।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । जहां तक प्रस्तावना में 'समाजवाद' शब्द को शामिल करने का प्रश्न है, इस शब्द को अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिये । स्वर्ण सिंह समिति ने प्रबन्ध में 'कर्मचारियों' की भागीदारीता और 'गरीबों को कानूनी सहायता' के बारे में भी उल्लेख किया है। ये दोनों बातें स्वागत योग्य हैं ।

परन्तु हमने सम्पत्ति के मूल अधिकार पर कोई चोट नहीं की है । समाजवाद और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने तथा विभिन्न वर्तमान शक्तियों में समान सन्तुलन बनाये रखने के लिये निदेशक सिद्धांतों का पुनर्गठन करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

स्वर्ण सिंह समिति ने यह स्वीकार किया है कि हमारा समाज गतिशील है तथा समाजवादी-आर्थिक कार्यक्रम की गति को तेज किया जाना चाहिये । परन्तु सिफारिशों से यह दावा सिद्ध नहीं होता । इनसे केवल कुछ असंगतियां ही दूर की गई हैं । इन्हें ठोस रूप दिया जाना चाहिये । यदि यह राजनीतिक निश्चय है तो इसे लागू किया जा सकता है । हमें राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 में इस सम्बन्ध में एक खण्ड शामिल करना चाहिये।

हम आपात स्थिति के सम्बन्ध में अब किये गये उपबन्धों के सर्वथा विरुद्ध हैं । जब एक राज्य में आपात स्थिति घोषित की जाती है तो उसे दूसरे राज्य में लागू किये जाने का उपबन्ध है । यह कैसे किया जा सकता हैं ? यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है । इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये तथा उसे संविधान में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

जहां तक मजदूरों के साथ सामूहिक समझौते का सम्बन्ध है, इसे निदेशक सिद्धान्तों में शामिल किया जाना चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): I welcome this Bill. Some people say that the consideration of this Bill be postponed at this stage. But the Prime Minister has made several commitments with in the country and abroad in regard to this Bill and so, it is very essential to pass this Bill.

As regards directive principles, they must be given full importance and also precedence over the fundamental rights.

It is said that the word 'socialism' has been added in the Preamble of the constitution. But this Bill does not give any indication of socialism, because nowhere there is any mention of free education or free legal aid to the people. I will like to know whether Government propose to bring any Bill in future so as to bring all the features of socialism within its ambit.

There is nothing wrong if the term of the present Parliament has been extended by one year, because it is fully within their competence to do so. Therefore, the present Parliament is supreme and fully empowered to amend the constitution.

It is very good that a new chapter enumerating duties of citizens has been added to the constitution. It would have been better if some duties had been laid down for bureaucrats and even for the Ministers.

Sardar Swaran Singh has said that they propose to maintain the federal structure of the country. But the fact remains that if this federal structure is retained, it will aggravate disparity in the country and some states will even try to secede. Thus the unity of the country will be jeopardised. It is, therefore, essential to have a unitary form of government in this country for maintaining the unity of the country.

A resolution was passed in Ahmedabad session of the Congress that the persons whose per capita income becomes 40 rupees be treated on border line of poverty. The recommendations made by Swaran Singh committee do not certain any thing for the poor. However, I support this resolution as a soldier of the congress party.

There is no need for legal aid for the poor. It is not necessary when people have property and are well off.

A lot of people who do not have faith in socialism have joined congress. These very people are responsible for the imposition of emergency. We should try to bring total socialism.

Duties for the citizens have been proposed in this Bill. I stress upon Sardar Sahib and Shri Gohkle to impose some duties on the bureaucrets. No duties have been proposed for the Ministers.

Nothing has been done in this Bill to assure fair price to the farmers for their produce.

Some times back the A. I. C. C. had passed a resolution recommending to make education and agriculture concurrent subjects. But Agriculture has not been included in concurrent list of the constitution.

श्री टी० बाल कृष्णैया (तिरुपति) : मैं इस संशोधन विधेयक का पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं। इससे समाजवादी आर्थिक प्रगति के आड़े आने वाली रुकावटों को दूर करने का यत्न किया गया है। 'समाजवादी' शब्द की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। इसकी एक परिभाषा यह भी दी गई है "यह सामाजिक गठन का वह सिद्धांत है जो उत्पादन के सभी साधनों पर पूरे समुदाय के स्वामित्व और नियंत्रण का समर्थन करता है।"

धर्मनिर्पेक्षता के बारे में प्रधान मंत्री का यह कथन सही है कि यह हमारी संस्कृति में है। हमने प्रस्तावना में दो शब्दों अर्थात् 'समाजवाद' और 'धर्मनिर्पेक्षता' को जोड़ा है जिससे यह पता चलता है कि हम क्या चाहते हैं। इसके लिये मैं प्रधान मंत्री, श्री गोखले तथा सरदार स्वर्ण सिंह को धन्यवाद देता हूं।

विधेयक को विभिन्न वर्ग के लोगों ने विभिन्न प्रकार को आलोचना की है। कुछ ने कहा है कि इस संसद् को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। परन्तु प्रधान मंत्री ने एक से अधिक बार यह कहा है कि संसद् को संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। संविधान के एक संशोधन द्वारा हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा रहे हैं। निःसन्देह हमारा प्रयत्न यह है कि न्यायालय उन कानूनों में हस्तक्षेप पैदा न करें जो समाजवादी-आर्थिक प्रगति के लिए संसद् ने पास किए हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों को भी विधान मण्डलों द्वारा पास किए गये विधानों के सम्बन्ध में इस प्रश्न में जाने का अधिकार नहीं होगा कि वे संविधानिक हैं अथवा नहीं।

नौकरशाही आंशिक रूप से अनावश्यक मुकदमेबाजी और खर्चे बढ़ने के लिये जिम्मेदार है। कार्यपालिका पूरी तरह से नौकरशाही द्वारा नहीं चल रही है। संसद् के निर्वाचित सदस्य कार्यपालिका के जिम्मेदार है। वे नौकरशाही को दुरुस्त करें और देश की चहुमुखी प्रगति सुनिश्चित करें।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडीचेरी) : अनेक सदस्यों ने मत व्यक्त किया है कि यह विधेयक एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। मेरा मन्तव्य है कि यह ऐतिहासिक नहीं है अपितु साधारण संशोधन है। प्रधानमंत्री ने निष्ठा व्यक्त करके इसे ऐतिहासिक रूप देने की चेष्टा की है।

संविधानिक प्रश्नों पर हमे अन्य देशो का अनुकरण न करके आधारभूत ढांचे के बारे में भी अपनी ही परम्पराएं बनानी चाहिएं ।

हम समझते हैं कि आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् संसद् का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा । यह संसद पूर्णता निर्वाचित है और संसद् सदस्य उसके निर्वाचित सदस्य है, अर्द्ध सदस्य नहीं। इसलिए संसद् को संशोधन करने का पूरा अधिकार है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने संविधान सभा बुलाये जाने की बात कही है । परन्तु संशोधन विधेयक से उसका क्या सम्बन्ध है । कुछ सदस्यों ने इस विधेयक पर विचार स्थगित करने को कहा है । इस बारे में जनता की राय क्या है । बहुत से लोग संविधान लागू होने के 25 वर्ष के भीतर सम्मुख आये। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों एवं प्रशासनिक कठिनाइयों की बात करते हैं । यदि कुछ सदस्यों में दृढ़ता नहीं है तो उन्हें अपनी सदस्यता त्याग देनी चाहिए ताकि वे अपने आत्मा के प्रति सत्यनिष्ठ बन सकें ।

इस सभा के सदस्य के नाते हम किसी विशेष दल से बंधे नहीं है, हम देश की जनता से बन्धे हैं । हम जनता के हैं । उसी निष्ठा से हम इस विधेयक पर विचार करें । बाहर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक संसद् सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा कर महत्वपूर्ण मामलों पर लोगों से राय जानें और उसे यहां व्यक्त करें ।

संविधान देश में राज्य चलाने का एक दस्तावेज है । यह रामायण या महाभारत या बाइबिल नहीं है जिसमें फेर बदल न किया जा सके । समाज के लाभ के लिए इसमें परिवर्तन करना अनिवार्य है और वह किया जाना चाहिए ।

प्रधान मंत्री ने विचार व्यक्त किया है कि निष्ठा की आवश्यकता पर बल दिया है ।

कई सदस्यों ने ब्रिटिश तथा अमरीकी संविधानों से उद्धरण दिये हैं तथा कहा है कि न्यायालय सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों एवं प्रगति में बाधक सिद्ध हो रहे हैं । परन्तु कितने सदस्यों ने गोलकनाथ, बैंक राष्ट्रीकरण तथा प्रिवी पर्सों के मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों का उल्लेख किया है ।

सरकार मूल अधिकारों में से सम्पत्ति का अधिकार लेने से डरती है । इसका कारण यह है कि हम सदैव चुनाव की ओर देखते हैं । एक डर बना रहता कि संसद् में वापिस आएंगे या नहीं । यह भावना नहीं रहनी चाहिए । हमें चुनाव की परवाह नहीं करनी चाहिए वरन् कुछ वर्ग विशेष के प्रभुत्व को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

यदि कुछ व्यक्ति यह समझते हैं कि संसद् को संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है तथा अन्य संसद् इन परिवर्तनों को समाप्त कर सकती है । गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग वास्तव में जेलों में ही रह रहे हैं । हम विचार अभिव्यक्ति की बात करते हैं । परन्तु यदि हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तब अन्य स्वतंत्रताओं से कोई लाभ नहीं पहुंचेगा ।

इस विधेयक को ऐतिहासिक घटना नहीं कहा जा सकता क्योंकि सरकार ने आर्थिक स्वतंत्रता के मुख्य रोड़े को नहीं हटाया है । इसके बजाय उन्होंने तीन बातों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया है । पहला बल हमने शब्दों के घुमाव फिराव को दिया है । दूसरा बल न्यायालयों और उनके निर्णयों पर तथा तीसरे वे कुछ शक्तियां विभिन्न निकायों में बांटना चाहते हैं ।

विधेयक पर न्याय नहीं किया जा रहा है । विधेयक पर और विचार किया जाना चाहिए । इसके लिये विधेयक पर विचार करने का समय बढ़ाया जाए । विधेयक को पास करने से पहले प्रत्येक खण्ड का पूरी तरह विश्लेषण किया जाए और विचार किया जाए ।

Shri Genda Singh (Padronna): Welcome this constitution Amendment Bill. During the working of the constitution from 25-27 years there has been no improvement in the condition of the common .

[**श्री इशहाक सम्भली पीठासीन हुए**
Shri Ishaque Sambheli in the Chair.]

In fact in some parts the country the number of poor people has increased during all these years . It proves that we have not been able to discharge our duty properly. I would, therefore, like to caution the Government that simply by putting socialism in the preamble would not do, but the Government had to implement it in spirit. The disparity between the poor and the rich is becoming more acute. The poor deserve a fair deal.

I do not want to condemn judiciary as there are also persons judicial field who have supported this Bill. In a country where 45 percent of people are living below poverty line, it is in the fitness of things that dynamic changes are brought so that the lot of poor people can be improved.

I would suggest that this Bill should be passed as early as possible because this is an historic measure. Its passage should not be delayed.

श्री रण बहादुर (सिक्की) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ क्योंकि इस विधेयक ने लोकतंत्रीय प्रणाली और संवैधानिकता के लिये एक नया क्षेत्र खोला है। निदेशक सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देकर हमने शुरुआत कर दी है तथा एक विशेष प्रकार की शासन प्रणाली की सरकार वाले सभी देशों में ऐसी व्यवस्था है।

लोकतंत्र तो यहां सदैव रहा है परन्तु पहली बार इसमें उन निर्धनों की सहायता की जा रही है जो अपनी सहायता करने में असमर्थ हैं। इस संशोधन के द्वारा निदेशक सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। इससे न्यायपालिका से होने वाला विवाद समाप्त करने में मदद मिलेगी। निदेशक सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों से अधिक शक्ति सम्पन्न बनाये जाने पर सम्पत्ति का अधिकार समाज के आड़े नहीं आयेगा।

जहां तक संविधान में संशोधन करने सम्बन्धी इस संसद के अधिकार का प्रश्न है, संसद की प्रभुसत्ता अक्षुण्ण है। हमारे संविधान में संसद का कार्यकाल बढ़ाये जाने का उपबन्ध है। अतः इस संसद को संविधान का संशोधन करने का पूरा अधिकार है।

Shri Nawal Kishore Sinha (Muzaffarpur): I welcome the constitution Amendment Bill. Congress Party had made a commitment to the people of the country during 1971 elections. Through this Bill the promise is now being fulfilled.

In my view adult franchise, time bound elections and secret independent ballot are the three main features of our constitution. If any Parliament is elected after fullfilling these conditions, it is fully competent to make any changes it likes.

Today our people are conscious of their rights. They want to improve their lot and to make progress in social and economic fields. Therefore, this constitution has got to be amended. There is nothing sacred and sacrosanct about constitution. It has got to be changed in order to meet the requirements of the people.

I do not agree that there is any conflict between the rights of an individual and the right of the society. In fact the right of the society includes the right of individual as well.

Free legal aid to the poor has been provided in the Bill. At the same time Government should see that there is no delay in administering justice.

The Directive Principles should also include provision of employment so that the problem of unemployment can be tackled effectively. I am happy that henceforth High Courts will have no jurisdiction over the laws passed by the centre. This is necessary because different High Courts had given different verdicts over the same law.

When education and forestry have been included in concurrent list, I cannot understand why agriculture and irrigation have been left out from this list? This should be looked into.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): I would like to say that the people of our country should respect the constitution as they respect religious book like Ramayana, Geeta Koran and Bible. The Chapter on Duties which is now being included in the Constitution should be made compulsory for being taught in all educational institutions.

It is being included in the Fundamental Duties that everyone should abide by the constitution and respect its ideals and institutions. the National Flag and the National Anthem. We should also include National Language in this duty. National Language should also be respected by all.

A provision is being made for participation of workers in the management of the industries but no provision has been made for the welfare of agricultural workers who are much larger in number than industrial workers. A provision should be made to guarantee proper wages and employment to workers. The provision for free legal aid to the poor is also welcome.

Articles 343 and 351 of the Constitution have given certain position to Hindi and Devnagri script. Hindi has been accepted as the National Language. So long as it is not used by Ministers and Government Official, it will not be possible to ensure use of Hindi at lower levels.

There are no two opinions that Parliament has power to amend any part of the Constitution. Still it would be better to convene a Constituent Assembly to give deep thought to all aspects of the Constitution.

With these words I whole-heartedly support the amendments proposed by the hon. law Minister.

Shri N.S. Kamble (Pandharpur): I support this Constitution (Amendment) Bill. The Constitution has made reservation for scheduled castes and Scheduled tribes in the services. But the reserved quota is not being filled up. The Law Minister should pay attention to this matter so that justice is done to the scheduled castes and scheduled tribes people in this matter.

The cases in courts relating to cruelty towards Harijans should be disposed of quickly. At present a lot of time is being taken to dispose of these cases. Suitable legislation should be enacted to ensure speedy disposal of these cases.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : यह पहली बार महसूस किया गया है कि जब संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकार, दिए हुए हैं तो उसी तरह संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों पर भी जोर दिया जाना चाहिए। हम पहली बार मौलिक कर्त्तव्यों को संविधान में सम्मिलित कर रहे हैं। इन मौलिक कर्त्तव्यों का यथासंभव अधिकाधिक प्रचार किया जाना चाहिए और वह भी विशेषकर शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं और इसी तरह की अन्य संस्थाओं में, ताकि बचपन में ही हमारी भावी पीढ़ी मौलिक कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक रहे।

हम एक नई आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि समाज के उस वर्ग को देश के उत्पादन का अधिकार पूर्ण हिस्सा मिल सके जो कि अब तक उससे वंचित रहा है। यह नितान्त आवश्यक है कि इस नई अर्थ-व्यवस्था के निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसके लिए इन संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता है ताकि हम नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण तीव्र गति से कर सकें और देश में एक नये समाज की स्थापना कर सकें।

गत दो या तीन वर्षों से शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगाने की बात हो रही है। हम यह कार्य समूचे देश में नहीं कर पाये हैं। यह उचित समय है कि हम सम्पत्ति के मौलिक अधिकार पर विचार करें और कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालें जिससे कि संचित धन का उपयोग उन लोगों के कल्याणार्थ किया जा सके, जिनके पास सम्पत्ति नहीं है। भविष्य के लिए हमें यह निश्चित कर देना चाहिए कि सम्पत्ति के इस अधिकार से कोई व्यक्ति, दल अथवा औद्योगिक गृह इस तरह अनावश्यक रूप से सम्पत्ति को संचित न करे और अपने स्वार्थों के लिए देश का शोषण न करे।

जैसे ही यह सभा विधान पारित करेगी, स्वतः ही वह विधान साथ-साथ जम्मू और काश्मीर पर भी लागू किया जाना चाहिए। विधि मन्त्री सुनिश्चित करें कि क्या इस सम्बन्ध में कोई उपाय निकाला जा सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा दल इस विधेयक को बिना किसी प्रवर समिति या अन्य समिति को सौंपे इसे पारित करने का समर्थन करता है।

आशंका व्यक्त की गई है कि इस विधेयक के पारित होने पर क्या होगा और निदेशक सिद्धान्तों को किस तरह कार्यान्वित किया जायेगा। निदेशक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन सम्बन्धी सभी मामलों की समीक्षा तथा जांच के लिए संसद तथा राज्य विधान मण्डलों की एक स्थायी समिति होनी चाहिए। इस तरह की समिति केन्द्र तथा राज्य स्तर पर बनाई जा सकती है।

यह भी उपबन्ध किया जाना चाहिए कि मुसलमानों तथा अन्य अल्प-संख्यक समुदायों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित समुदायों और कमजोर वर्गों के अधिकारों विशेषकर शिक्षा तथा रोजगार के अधिकारों की रक्षा के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठायें।

ऐसा उपबन्ध भी बनाया जाना चाहिए कि राज्य विधान के माध्यम से या अन्य तरीके से कर्मकारों और कर्मचारियों की सामूहिक सौदाबाजी के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाये जायेंगे। यदि यह स्वीकार कर लिया गया तो फिर किसी प्रकार की हड़ताल नहीं होगी क्योंकि कोई भी कर्मकार हड़ताल करने का आदी नहीं है। विवादों को सुलझाने के तन्त्र के साथ-साथ सामूहिक सौदेबाजी को भी संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए।

हम अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रदत्त अधिकारों को छीन रहे हैं। अपने पक्ष में कहने के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का पर्याप्त और समुचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिएं। सरकारी कर्मचारियों को अनुच्छेद 311 कुछ अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में यह उनके लिए एक प्रकार का चार्टर ऑफ लिबर्टी या मैगना कार्टा है। इसे छीना नहीं जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार रक्षा से सम्बद्ध सिविल पद अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत नहीं आते। रक्षा विभाग में कार्य कर रहे सिविल कर्मचारियों पर भी यह अनुच्छेद लागू होना चाहिए।

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में पदावनति, नौकरी से हटाने, पूरी अवधि से पूर्व या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने आदि जैसे सभी मामले भी सम्मिलित किए जाने चाहिए। अब अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामले में भी सम्बन्धित व्यक्ति को एक अवसर दिया जाना चाहिए।

न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए। प्रसिद्ध व्यक्ति तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी वहां रखे जाने चाहिएं अन्यथा कर्मचारियों का इसमें विश्वास नहीं रहेगा।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The Constitution is an instrument of serving the people and bringing about a social revolution.

The Lok Sabha is competent to amend the Constitution and it possess all those powers which were exercised by the Constituent Assembly.

I particularly welcome, the addition of words 'secularism' and 'socialism' in the Preamble to the Constitution. The parties like Jan Sangh, which have no faith in the secularism, are not participating in amending of the Constitution, and others, who have not participated include people who have no faith in socialism and are the staunch supporters of capitalism.

Non-participation of such people in the session is making no difference at all since the people's representatives under the leadership of Prime Minister are passing this Constitution Amendment Bill. Some Members wanted to prolong the passage of the Bill by suggesting to refer the same to the Select Committee but they could not prevail.

Some people are spreading the remours that Supreme Court will strike down this Bill, but the Supreme Court will not do so. I am one among those who do not consider the Supreme Court as the common man's court. Today lakhs of cases are pending in the Supreme Court.

I welcome the inclusion of education in the concurrent list. Similarly, Agriculture should also be included in this list. It is only after the inclusion of Agirculture in the concurrent list that the difficulties in the implementation of 20 point programme will be removed.

A Committee should be set up to interpret the amendments being made by us because we cannot leave this job to the Supreme Court.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): Some of the opposition parties both inside and outside the House have been demanding amendments in the Constitution but the same parties have reacted sharply now when this amendment is before the House. They are opposing this Bill simply because it has been brought by the ruling party. This is most unfortunate. I would request those parties which have boycotted, to attend and participate in the amendment proceedings of the constitution.

I would also like to call upon the public to come and sit on judgement on the attitude of their representatives who are not cooperating with the Government in this historical amendment Bill.

Secondly, I may mention that our Parliament is supreme. It has got every right to amend the Constitution. Constitution is not a sacred and immutable document. It has got to be amended according to the situation so as to meet the demands of the people and the changing society.

It is a matter of satisfaction that words 'Socialist' and 'Secular' have been included in the Preamble of the Constitution. The inclusion of chapter of duties is also a welcome

measure and the commendable step has been taken at the right time. Though this Bill consists of 59 clauses, I will not discuss all of them. I may mention about the provisions of declaration of Emergency in the Country or any part of the Country. Some of my friends have expressed their apprehensions about this clause but there is nothing wrong in it.

Lastly, I may submit that there should be a specific provisions in the Constitution for giving Hindi its due place as has been done for National Flag. Similarly, the interests of Agricultural labour should also be protected through this Bill.

With these words, I support these constitutional amendments.

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हुये मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस विधेयक सम्बन्धी चर्चा में भाग लेने के लिए सदस्यों के नाम उसी क्रम से बुलाये जाने चाहियें जिस प्रकार कि उनकी सूचना संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है।

[[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए] / [Shri Bhagwant Jha Azad in the Chair]]

मैं संविधान के प्रस्तुत संशोधन विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं क्योंकि मेरी यह मान्यता है कि इस संशोधन के माध्यम से देश में सामाजिक आर्थिक क्रांति लाने में बहुत सहायता होगी। इन संशोधनों के उपरान्त हमारा संविधान एक सशक्त प्रभावीतंत्र में बदल जायेगा।

यह प्रसन्नता की बात है कि इस संशोधन के अन्तर्गत शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि कृषि, सिंचाई तथा विद्युत को भी समवर्ती सूची में ही शामिल कर लिया जाना चाहियें। ऐसा करने से केवल किसी राज्य विशेष का नहीं अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र का हित होगा। हमारे देश में अनेक नदियां ऐसी हैं जोकि अन्तर्राज्यीय नदियां हैं। आये दिन राज्यों के बीच जल विवाद होते रहते हैं जिनके फलस्वरूप नदियों के जल का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। यदि सिंचाई को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जायेगा तो जहां ऐसे विवादों की समस्या हल हो जायेगी वहां जल का पूर्ण उपयोग भी होने लगेगा। इसके फलस्वरूप अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र करने में भी सहायता मिलेगी जिससे कि अंत में उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिये।

यह हमारे लिए तथा देश के लिए खेद की बात है कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने इस विधेयक की चर्चा में भाग न लेने का निर्णय कर लिया है। उन्हें यह निर्णय करते समय कम से कम इस बात का ध्यान तो रखना चाहिये था कि यह कोई दलगत मामला नहीं है यह तो एक राष्ट्रीय प्रश्न है। अतः इस पर अपने विचार व्यक्त न कर, वह अपने दायित्व का पालन करने में भूल कर रहे हैं। कांग्रेस दल की यह हार्दिक इच्छा थी कि विपक्ष के साथ समझौता करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिये परन्तु ऐसा लगता है कि विपक्ष ने अपना अलग रवैया अपनाने की कसम खा रखी थी। डा० अम्बेदकर भी कांग्रेस की कट्टर आलोचक थे परन्तु उन्होंने संविधान की रचना में महान् योगदान दिया।

गोदावरी नदी केवल आन्ध्र प्रदेश की नहीं अपितु वह तो सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति है। अनेक राज्यों को उससे लाभ होता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बाद इसका स्थान आता है। हमें इससे सम्बद्ध जलविवाद का निपटारा करने तथा मद्रास व केरल जैसे राज्यों को जल उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र ही उपयुक्त कदम उठाने चाहियें।

अन्ततः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चोर बाज़ारी की पकड़ने वालों के साथ साथ, चोर बाजारी करने वालों के नाम भी प्रकाशित किये जाने चाहिये।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : We have been marking amendments in our Constitution right from the days of its inceptions and the process of amendments will continue so long as the constitution exists for the fact that our constitution is a living document. But despite this vital fact some people had the temerity to say that our Parliament has got no right to amend the Constitution. During these years judiciary has also tried to transgress its powers and it began to think that their word is law for this Country. So inview of all these developments, it is now necessary to change this state of affairs. After this Bill is passed, there will not be any room for challenging any Constitutional Amendment in the courts.

The Congress Party was returned by the public with overwhelming majority during last elections. At the time of elections it was stated by the party that constitution will be suitably amended so as to enable it to meet the wishes of the people. Our party had a clear mandate from the masses for amending the constitution.

Another fact which I would like to highlight here is that even the founding fathers if our Constitutions visualised that Constitution would have to be amended. That is why they provided for a seperate chapter for amending the same has been included. I strongly feel that this Parliament has got full and unfettened right to amend the Constitution and all talk about referendum or a fresh mandate from the people is baseless.

In the present amendments, the right to property has been placed with fundamental right but I feel that some limitation must be put on this right. Unless this is done it will be difficult for the Government to implement the Directive Principles as laid down in our constitution.

My other submission is that all the inter-state rivers, power and other means of productions, which effect the whole country, should be brought directly under the control of Centre. If it is done, it will be all the more convenient to exploit fully the resources of the Country.

It is a matter of pity that some people who live in this country and have been brought up in this country, claim English language as their mother tongue. It is a matter of concern that Hindi has not been given its due place in the country. This must be looked into at the earlist.

Lastly, I may express my satisfaction over the inclusion of words 'Socialist' and 'Secular' in the Preamble of the Constitution. I think with that, all good points have been included in the present amendments and for that reason I support the Bill.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं संविधान संशोधनों का स्वागत करता हूं यद्यपि प्रस्तावित संशोधनों को क्रांतिकारी संशोधन नहीं कहा जा सकता परन्तु फिर भी वह सराहनीय अवश्य है।

मेरे कुछ मित्रों ने संसद् की सर्वोच्चता का प्रश्न उठाया है मैं उन्हें यह स्पष्ट कर दूं कि भारत में सर्वोच्चता जनता में निहित है तथा जनता के प्रतिनिधियों की सर्वोच्च संस्था संसद है। इसलिए उसे संविधान में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।

संविधान एक जीवित दस्तावेज है। यह एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसमें कि आवश्यकतानुसार परिवर्तन न किया जा सके। देश की जनता की आकांक्षाओं को परिलक्षित करने की क्षमता संविधान में होनी ही चाहिये।

गत अनेक वर्षों में अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। समय समय पर अनेक विवाद उत्पन्न हुये तथा विधान सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण सुधारों की कार्यपालिका या न्यायपालिका या फिर विधान-मंडल ने दबा दिया परन्तु संविधान में सामाजिक विचारधारा को परिलक्षित करने की जनता की इच्छा को उपयुक्त महत्व दिया ही जाना चाहिये। संघर्ष चाहे राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच हो या सामाजिक स्वतन्त्रता के बीच हमें संसद् की सर्वोच्चता पर कभी संदेह नहीं करना चाहिये। संसद की सर्वोच्चता को प्रमाणित करने की दृष्टि तथा जनसाधारण की आकांक्षाओं को परिलक्षित करने वाले इन संशोधनों का मैं समर्थन करता हूं।

अब समय आ गया है जबकि हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या हम प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़कर देश में समाजवाद ला सकते हैं। मैं समझता हूं समाजवाद लाने के लिए हमें जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को व्यवहारिक रूप देना होगा, संविधान के प्रत्येक शब्द को व्यवहारिक रूप देकर ही इसे एक जीवित दस्तावेज़ का रूप दिया जा सकता है।

मेरे मित्र श्री सिद्धार्थ शंकर ने यह विचार व्यक्त किया है कि संविधान के आधारभूत ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। हमने लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। हमने कार्यपालिका की संरचना में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। लोकतंत्र के तीन स्तंभ अर्थात्, कार्यपालिका न्यायपालिका तथा विधानमंडल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हमने तो आर्थिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए केवल कुछ सुधार प्रस्तुत किये हैं। वस्तुतः इसमें राजनीतिक रंग लाने की चेष्टा न करें। इन सुधारों के बारे में किसी को भी आशंका व्यक्त नहीं करनी चाहिये। संविधान को अधिक कारगार बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि कार्य करने के अधिकार को भी संविधान में शामिल किया जाना चाहिये। आखिर संविधान या चुनावों से लोगों को क्या मिलता है? उन्हें कार्य का अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिये।

Shri M.C. Daga (Pali) : Moving the Twenty-fifth Amendment Bill in the Lok Sabha in 1971 the Prime Minister said :

'We are determined to implement the directive principles and if need be we shall amend the fundamental rights also.' It is an historic moment when this important Bill which aims at meeting the aspirations of the people is being considered. It is welcome that Directive Principles are being given precedence over Fundamental Rights. The soul and the spirit of our constitution is justice, social, political and economic, to all the citizens.

A large number of amendments have been proposed. Purpose of these amendments is to have a constitution which will help in having a society free from exploitation in the country.

Education is being included in the concurrent list. Libraries should also be included in this list.

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं। पूछा गया है कि इस विधेयक को पहले क्यों नहीं लाया गया है। जब आप इस बात को मानते हैं कि यह एक अच्छा विधान है तो देर से लाने पर क्यों आपत्ति उठाई जा रही है? संसद संविधान में मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिये पूर्णतया सक्षम है और वह सर्वोच्च है।

1971 के मध्यावधि चुनावों से पहले सरकार ने प्रिवी पर्स समाप्त किये, बैंकों, कोयला खानों तथा अन्य मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने उन

उपायों को रद्द कर दिया। तब 1971 के चुनावों में प्रधान मंत्री ने इन सुधारों को लाने हेतु जन आदेश प्राप्त किया। लोगों ने भारी बहुमत से उनका समर्थन किया। अतः सतारूढ़ दल इन परिवर्तनों को लाने के लिये पूरी तरह सक्षम है।

नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों में परिवार नियोजन को भी एक कर्तव्य के रूप में रखा जाना चाहिये। जब तक हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करते तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। एक नागरिक के दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिये और उसे यह बात मूल कर्त्तव्य के रूप में स्वीकार करनी चाहिये। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिये ऐसा उपबन्ध करना आवश्यक है।

काम के अधिकार को भी मूल अधिकारों में स्थान दिया जाना चाहिये। विधि मंत्री को इस मामले पर विचार करना चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि उच्च न्यायालयों की शक्तियां काफी हद तक कम की गई है। अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उन्हें निर्बाध शक्तियां प्राप्त थीं और वे उन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। इन शक्तियों को समाप्त करके ठीक ही किया गया है।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि इस विधेयक द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर के धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की धारणा को अधिक स्पष्ट किया गया है। हम जानते हैं कि लोगों के कल्लाण के लिये समाजवाद आवश्यक है और जब तक हम उनकी हालत नहीं सुधारते तब तक हम देश में उनके प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्र की एकता हमारे मुख्य सिद्धान्त हैं, गरीबों को कानूनी सहायता वाला उपबन्ध भी स्वागत योग्य है।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापट) : संविधान सभा गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। कर्त्तव्यों सम्बन्धी नये अध्याय को जोड़े जाने का देश में सभी लोगों ने स्वागत किया है।

अनुच्छेद 194 का संशोधन किया जाना चाहिये। उस अनुच्छेद से 'हाऊस हाफ कामन्स' शब्दों का लोप किया जाना चाहिये।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मैं इस संविधान (44वें) संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। यह संसद ऐसा कोई भी विधान, जो कि समाज के हित के लिये और देश की प्रगति के लिये आवश्यक है, पास करने के लिये पूरी तरह से सक्षम है। प्रधान मंत्री के नेतृत्व में संविधान में संशोधन करने का जनता से उन्हें पूरा-पूरा आदेश प्राप्त है। परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार संविधान में भी परिवर्तन किया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू कहा करते थे कि यदि कोई संविधान जनता के जीवन लक्ष्यों और भावनाओं से जुड़ा हुआ नहीं है वह थोथा है।

नीति निदेशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों की अपेक्षा ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिये और इस विधेयक द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। यदि समाज के हित में व्यक्तिगत मूल अधिकारों में भी कमी करनी पड़े तो ऐसा किया जाना चाहिये। इसमें कोई बुराई नहीं है।

संसद की कालावधि बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी जानी चाहिये। देश और समाज की प्रगति के लिये हमने पंचवर्षीय योजनायें शुरू की हैं। हमारे पास योजना की समीक्षा के लिये समय नहीं बचता।

हम योजना के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा नहीं कर पाते और न ही यह देख पाते हैं कि कहां तक योजना का क्रियान्वयन हुआ है। अतः छठे वर्ष के दौरान हमें योजना की समीक्षा करनी चाहिये और सातवें वर्ष में हमें अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करना चाहिये।

यह सभा इस विधेयक को पास करने के लिये पूरी तरह सक्षम है लेकिन यदि फिर भी किसी के मन में कुछ सन्देह है तो हमें समूचे संविधान को दुबारा से बनाना चाहिये ताकि इस देश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

Shri R.P. Yadav (Madhepura): I support the constitution (44th Amendment) Bill. The present Constitution was prepared by the constituent Assembly which was not elected on the basis of adult franchise. The present Parliament is a body chosen by the people on the basis of adult franchise. It is, therefore, more competent to amend the Constitution.

In the 1971 poll people gave mandate to the Congress Party for amending the constitution. The present Bill has been brought forward to carry out that mandate.

It is for the first time that the words 'secular' and 'socialist' have been incorporated in the Preamble. It is a welcome step. The chapter on Fundamental Duties is also welcome.

The Directive Principles have been given pre-aminent position. They have been put on a higher pedestal than the fundamental rights. This a right step in the right direction.

The provision to give free legal aid to the poor is something which will help the weaker sections. It is really welcome the provision of participation of workers in the management of industry is also welcome.

Parliament is a representative body. It has been elected by the people. Therefore, there is no need for an opinion poll on this Bill.

श्री वाई० एस० महाजन (बलढाना) : मैं संविधान (44वां संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक उन सभी विधेयकों से भिन्न है जिनपर संसद अतीत में विचार कर चुकी है, क्योंकि यह विधेयक काफी व्यापक है। यह अतीत की विवादास्पद कठिनाइयों को दूर करेगा और भावी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस विधेयक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग खण्ड 55 है। इसमें संवैधानिक शक्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 368 में किये जा रहे परिवर्तनों का मैं स्वागत करता हूं। इससे संसद की संवैधानिक शक्ति तथा अनुच्छेद 367 और 368 की परिभाषा के बारे में लम्बे समय से चले आ रहे निष्फल विवाद भी समाप्त हो जायेंगे। संविधान निर्माताओं को संसद की सर्वोच्चता और उसकी संविधान में संशोधन करने की शक्ति के बारे में बिल्कुल कोई सन्देह नहीं था। अनुच्छेद 368 में प्रस्तावित संशोधन अनुच्छेद 122 पर भी लागू किया जाना चाहिये जो कि संसद की कार्यवाहियों की वैधता अथवा प्रक्रिया में किसी किस्म की अनियमितता के बारे में उठने वाले प्रश्न पर मुकदमेबाजी करने पर प्रतिबन्ध लगाता है।

संशोधी विधेयक का खण्ड 4 राज्य की नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों की तुलना में प्राथमिकता प्रदान करता है। यह संशोधन संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप किया गया है।

जहां तक केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों की बात है, तीन मुख्य परिवर्तन किये गये हैं--शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करना, किसी ऐसे राज्य में जहां कानून तथा व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, केन्द्र द्वारा सेना तथा अन्य पुलिस भेजना तथा परिवार नियोजन को आर्थिक आयोजना में शामिल किया जाना है। इन बातों के अलावा भी केन्द्र-राज्यों के सम्बन्ध ठीक रहेंगे।

यह प्रसन्नता की बात है कि संविधान में कर्त्तव्यों सम्बन्धी एक अध्याय जोड़ा गया है। मूल अधिकारों पर अधिक बल देने से देश के राजनीतिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। संगठित दल अपने दल के हितों पर अधिक बल देते हैं जो कि समूचे समुदाय के लिये हानिकर है। केवल हमारे देश का संविधान ही ऐसा संविधान नही है जिसमें मूल कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अध्याय जोड़ा गया है। रूस और जापान में भी ऐसा उपबन्ध है। युगोस्लाविया के संविधान में भी कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में एक अध्याय है जिसके अनुसार नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार उनके कर्त्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति पर ही दिये जाने चाहियें।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान सभा गठित करने की मांग करना भ्रम की नीति का द्योतक है। जब संसद अनुच्छेद 368 पर विचार कर रही है इसलिये यह भी संविधान सभा की ही भूमिका निभा रही है। अतः इस स्थिति में संविधान सभा की मांग करना इस सभा की शक्तियों और उसकी प्रतिष्ठा के प्रति अपमानजनक है। यह सभा भी वही कुछ कर सकती है जो कि संविधान सभा कर सकती है। संविधान के अन्तर्गत उसे यह शक्ति प्राप्त है।

इसी प्रकार संयुक्त समिति की मांग करना भी व्यर्थ ही है। स्वर्ण सिंह समिति ने बहुत अच्छा कार्य किया है और असंख्य विशेषज्ञों तथा ससंद्सदस्यों से विचार-विमर्श किया है। इस समिति के प्रस्ताव हमें स्वीकार्य हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० मायातेम (डिंडीगुल) : मैं संविधान (44वां संशोधन) विधेयक का समर्थन करता इसमें की गई एक व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय कानूनों को केवल उच्चतम न्यायालय ही में चुनौती दी जा सकती और उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होने के कारण दूर दक्षिण के सामान्य व्यक्ति के लिये दिल्ली में ही आकर किसी कानून को चुनौती देना बहुत मुश्किल है। अतः सरकार मद्रास आदि कुछ अन्य स्थानों पर भी उच्चतम न्यायालय की शाखायें अथवा कार्यवाही कराने पर विचार करे।

अनुच्छेद 236(घ) के अधीन जिला जज तक अधीनस्थ सेवाओं अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होगी। मेरा अनुरोध है कि क्योंकि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जिला मुंसिफ़ तथा सब-जज भी प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं अतः उन्हें भी अखिल भारतीय सेवा में शामिल किया जाये।

यह अच्छी बात है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित किये जा रहें हैं। इससे उच्च न्यायालयों का बोझ भी कम होगा और मामले शीघ्रता से निपटेंगे। मेरा सुझाव है कि राज्यों के कानूनों संबंधी न्यायाधिकरण की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा केन्द्रीय कानूनों संबंधी न्यायाधिकरण की अध्यक्षता उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करें।

अनेक अन्तर्राज्यीय जल-विवाद वर्षों से अनिर्णित पड़े हैं। इस विषय को समवर्ती सूची में रखकर इन विवादों का यथासंभव शीघ्र निपटारा किया जा सकता है।

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत संसद देश का सर्वोच्च निकाय है । फिर भी आश्चर्य है कि यहां तक सरकारी पक्ष को भी कुछ लोग संविधान में संशोधन करने की उसकी शक्ति पर सन्देह कर रहें हैं। उन्हें इस प्रकार के अनावश्यक सन्देहों को त्यागना चाहिए । संविधान सभा तो जनता द्वारा चुना हुआ निकाय न होकर एक मनोनीत निकाय था जबकि यह संसद देश के निवासियों का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है और उनके द्वारा चुनी गई है। इसलिये यहां हम संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखते हैं। जो उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश इस प्रकार संविधान में संशोधन के विरुद्ध हैं। इसका अर्थ है कि वे देश के निर्धन वर्ग के विरुद्ध हैं। कोई नहीं जानता कि संविधान का 'आधारभूत ढांचा' क्या है, इसकी कहीं कोई परिभाषा नहीं की गई है, हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी के अर्थ लगा रहा है। वस्तुतः संविधान का हर एक भाग आधारभूत है और संसद को उसमें सशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।

शिक्षा के बारे में मेरा मत है कि वह राज्य का विषय है और इस बारे में यथास्थिति ही रखी जानी चाहिये।

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के फलस्वरूप, उच्च न्यायालयों के अनेक मामले इनमें आ जाने के कारण वकीलों पर के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मद्रास बार ने मुझसे यहां यह अनुरोध करने को कहा कि उन्हें प्रशासनिक न्यायाधिकरण में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाये।

अनुच्छेद 19(च) जो कि सम्पत्ति के अधिकार से संबंधित है, को इस प्रकार संशोधित किया जायें जिससे कि वास्तविक समाजवाद स्थापित हो सके। सम्पत्ति के अधिकार संबंधी अनुच्छेद में उपयुक्त संशोधन किये बिना समाजवाद स्थापित होना संभव नहीं है।

Shri Paripoornanand Painuli (Tihri Garhwal) : I rise to support this Amendment Bill.

Certain political parties who never had faith in Parliamentary Democracy are now craving on it whereas they have themselves created such circumstances in the country as to provoke the Government to declare a State of Emergency.

Some of us have pleaded for a constituent Assembly just in hewelderness as they themselves do not know as to what and in what from should there be a constituent Assembly. It is needed only when a new administrative and Governmental set up is to be brought about. No such condition exists in the country. Then if a constituent Assembly is set up to make amendments now, it would be needed every time any more amendments are needed as par the change of times and circumstances. How long would you continue to do so? As regards referendum, we, at the time of 1971 elections had made amply clear that we needed to make amendment in the constitution and the people of India returned us to the Parliament in a thumping majority which indicates that our people are behind us. Also none opposed us on this point.

We have Jan Sangh and CP (M) here who have no faith in parliamentary Democracy, but still they have repeatedly said that the Parliament is Supreme and it has full powers. How do they challenge those powers now?

Our former Constituent Assembly was represented by certain vested interest and who, under certain provisions, even our great e.g. Pt. Nehru, Sardar Patel, Shri Ambedkar etc. had to make adjustments with certain unwanted things. But the conditions were quite different at that times. Those people had not thought about the countrymen living below poverty-line. It is for those people that these basic changes have become necessary.

It is also quite amusing to note that these parties do not have any clear idea in their minds as to what type of democratic set do they want to have, or what sort of constitution should we have sometimes they speak high of American judiciary whereas as lord Bryce had himself once commented upon this judiciary saying "Supreme Court has twisted and tortured the terms of the constitutions." While giving their interpretations. Then the American Constitution was authored in light of the circumstances prevailing there at that time. Their constitutions was rigid whereas we do not want a rigid constitutions. Our base is democracy and rule of law. Our domocracy is unique in the entire universe.

It is good that we have included the term 'socialism' in our Preamble. It would been further good had we incorporated this term in the Directive Principles also. At the moment the poor is getting poorer where as the rich grows further rich. Until such a state of affairs is not changed, we can't have socialism. To this effect I have tabled an amendment which says "Every able-bodied person in the State shall have the Guarantee of Employment". We won't be able to progress unless we provide for it.

This Parliament represents our 60 crore people and our Prime Minister Smt. Indira Gandhi, the unrivaled leader, deems that our constitution needs changes now and may need in future also as per the requirement of the times. On the other hand those who plead for the judiciary, ignore this fact that the judiciary is comprised of those persons whose ancestors have always exploited the masses and that they themselves come from prosperous classes. These people can't even think of a poor man dwelling in the small torn-out hut.

It is a good and right suggestion that Education should be kept in the concurrent list so that the patterns and standard of education remains at a uniform level throughout the country irrespective of the fact that some one belongs to a poor family or to a rich family.

Our amendment is aimed at the development of 18 areas e.g. Nagaland, Meghalaya, hilly areas of U.P., Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir which had so far remained ignored in this respect. Although the provisions to this effect have been made but those are not effective as there is no constitutional safeguards. It also needs amendments in Article 311. Bureaucracy stands in the way of welfare of the poor people as they do not want to let equality come about.

With these words I welcome the Constitution (Amendment) Bill and hope that you would make the provisions, which you have not already made, so as to remove poverty.

Shri P. Ganga Reddy (Adilabad): I feel proud of being the Member of this House who is going to take the credit of affecting certain very important changes in the Constitution of India, under the leadership of our very dear Prime Minister Smt. Indira Gandhi. I congratulate Smt. Indira Gandhi on taking such daring and bold steps. The members of Swaran Singh Committee, particularly the Congress President, also deserve congratulations. This Session would find place in the Indian history in golden words.

Ours is a living Constitution and it is imperative to bring about changes therein according to the needs of the hour. It the Statute of a Nation remains rigid and inflexible to the needs of the changing times, it may invite even bloody revolutions.

Smt. Indira Gandhi is endeavouring to bring about such a socialistic revolution as finds no example anywhere. These amendments are neither aimed at curbing the powers of the judiciary nor do they intend to make the Prime Minister a dictator. These are aimed at nation's welfare.

These changes were clearly proposed before the people in the election manifesto, when congress came before the people in 1971 elections caused due to dissolution of Lok Sabha in 1970. And we got more than a two-third majority which clearly speaks of the complete faith of the people of India in Congress. So, we should not hesitate in fulfilling our foremost duties. We have to ensure that every ountr man gets bread, cloth, a house,

medical care, education and employment to which he has a birth right. Parliament very much has the powers those of a Constituent Assembly and we have taken the public opinion and have also discussed. These proposals, Therefore it is meaningless to refer this Bill to a Select Committee. The policy of the Congress is always based on public interest. This fact is abundantly clear in Article 1 on the Constitution of A.I.C.C.

In 1935, Shri Nehru had also claimed himself to be a Socialist and republican by saying "I am convinced that the only key to the world problems and to India's problems is socialism. Some people are doubtful about the true interpretation of the word socialism. Recently the Oxford dictionary has given the meanings to the word socialism as under:

A theory of policy of social organisation which advocates the ownership and control of the means of production, capital, land property etc. by the community as a whole and their administration or distributions in the interest of all".

The division of Congress in 1970 was also due to these socialistic steps taken by Smt. Indira Gandhi. And now we have, by our actions, established that we have full faith in socialism and securalism. Several times the judiciary has come in the way of these changes. In America,, once the Verdict of the Supreme Court declared that a slave was the property of his master and this verdicted cause a civil war in that country. Such circumstances could come in this country also.

Now, besides rights of citizens, duties are also being included. I was very essential to incorporate the duties because rights & duties go side by side . It is also necessary that duties are fulfilled.

As regards property right, there is no conflict between property right and socialism. Socialism is not opposed to property right.

Then, in addition to fundamental rights and duties, we should have included provision for compulsory family planning, military training and military service in the duties. So as to creat a spirit of discipline among the citizens.

Power, irrigation, inter-state rivers etc. should be included in the concurrent list lest country should have suffered on account of disputes on these issues.

The special status given to Kashmir and provisions existing in this respect should be done away with so as to bring it at par with other States. For that there is a need to review the provisions under Article 370.

The time has come when should think more of doing than of talking.

Shri Bishwanath Roy (Deoria): Social values change as per the pace of time, accordingly necessitating revisions and changes in the laws, rules and the statute so as forge progress and development. That is why our Prime Minister and our Party have brought in these amendments in the constitution. In the Constituent Assembly, which was not elected on adult franchise basis and which represented certain *vested* interest only, more stress was put on political aspects and there were many obstacles in the way of our great leaders.

But now the time has changed and on the recommendations of Swaran Singh Committee certain amendments to the country's Statute have been brought in here. This Parliament unlike the Constituent Assembly is elected by the people of the country; it represents the wishes of our countrymen and therefore it is supreme and Sovereign. It is very much competent to affect any changes in the Constitution and therefore the powers of the judiciary to come in the way have been done away with as per the amendments put before the House. It has been made quite clear that the Judiciary cannot, in the name of legalities, and what has been or what would be decided upon by the Parliament.

Our Government had long ago thought of having a socialistic pattern of society, besides adopting an industrial resolution, but at that time things were not made as much clear and distinot as are being done now. It has now been made quite clear that we would be socialist-republics. But this socialism of ours is not a copy of the pattern in any other country. It is our own. It is of the form what would be beneficial to our countrymen at large. In other words it is based on the democratic policies of the Congress. Now the decisions of the Parliament would be unchallengeable by any Court and there would be no danger of Parliament's Verdict being undone or nullified by the Judiciary. Parliament would hereinafter be supreme.

It is also very important that in addition to so many rights as many as none of the world constitutions has—we are incorporating certain duties also. To me, the provisions pertaining to duties should have more clear.

Some opposition parties have pleaded for the constitution of Constituent Assembly to consider these amendments. In this respect I want to say that our Parliament has been elected on adult franchise basis and thus it is supreme and sovereign in all respect. Thus, there is no need for going for a Constituent Assembly.

With these words I support the Bill.

Shri Chandu Lal Chandrakar (Doorg): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Constitution (Amendment) Bill.

The constitution of a country is the reflection of the economic, political and social system existing there. At the out set our constitution was built up on political structure as per the then existing circumstances and no much consideration could have been given to social and economic aspect. It is, therefore, natural that now some amendments to this effect have become imperative. In fact this should have been done quite earlier, but still it is better late than never.

The demand for a Constituent Assembly is meaningless since the Parliament itself is the top representative body of the country constituted on adult franchise basis, whereas a Constituent Assembly is not. So such a demand is misleading. Parliament is Supreme and can make any amendments in the Statute.

Amendments 42 or 43 made so far were related to mainly two articles, but now, as the Prime Minister has indicated it is going to be a sort of innovation of the Constitution.

It is true that these amendments are not so much revolutionary but they speak much of the intentions to make the constitution just the reflection of the wishes of the people of India. The more significant aspect is that besides having rights, certain duties are being provided for. In any set-up political or social duties go side by side the rights. Without duties no country can advance. However duties should have included a provision for having a single language for the entire nation besides having full respect and care for the other state languages. When we talk to each other in English, we are understood to come from a British colony.

A number of parties here have not turned up to participate in the discussion on these amendments whereas many of them themselves had, t times, pleaded for such amendments on their own. But when Government have brought in more amendments, those parties have turned their back from the House. Also it is not a sudden act that we have presented these amendments. We had proposed, hinted out and included them in our election manifesto in 1971. And our people returned us here on that count also. And we are doing here what we had promised to do. But why should those parties run away and do not participate in the proceedings of the House. Our people should note such a negligence and indifference to the sacred duties of these political parties and see that such people are never sent again to the Parliament. I do not want to use very harsh words against those people but certainly they are acting as traitors by not participating in the discussions in the House on these amendments. Let the public teach them a lesson.

In addition to many very good things, there are certain inadequacies also in the amendments. Article 311 should have also been reviewed so as to make the IAS and ICS services more and more beneficial to the general masses. Either Article 311 should be totally eliminated or it should be so designed as to make the bureaucratic attitude of the IAS and ICS officers more considerate to the needs and aspirations of the common people. At the moment the implementation of 20 point programme is hampered due to the bureaucratic behaviour of these officers.

As regards property rights, the rights may be there but a ceiling should be fixed in this respect. This is very essential for bringing about socialism in the country. There is no shortage of work in our country. We should do something to provide employment to the people because they should not only be assigned duties but also provided employment.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : हमारा संविधान तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की सिफारिश पर निर्मित किया गया था तथा वह अमरीकी पद्धति पर आधारित है। इसलिए यह देश की वर्तमान आवश्यकता के अनुकूल नहीं है।

गत चुनावों में तो जनता का मत पता चल गया था। हम पहले भी कई बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं। इस संशोधी विधेयक में 59 खण्ड हैं। इस विधेयक के पास होने पर न्यायालय इस संसद द्वारा पास किसी भी विधान को रद्द नहीं कर सकेगा।

विरोधी दल यह कहते रहे हैं "यह आपात स्थिति क्यों ?" इस आपात स्थिति के दौरान बहु-मुखी प्रगति हुई है, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, दोनों में उत्पादन बढ़ा है। हमें चाहिय कि हम आपात स्थिति में हुए लाभ को बनाये रखें, जिससे हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो।

संसद का कार्यकाल 7 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे हम विकास कार्य बिना किसी रुकावट के करते रहें।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) : संविधान के पास किये जाने के समय से सत्ताधारी दल की यह धारणा रही है कि जनता संविधान के लिये नहीं है परन्तु संविधान जनता के लाभ के कार्यक्रम को लागू करने के लिए है। इसलिये संविधान में 43 बार संशोधन किया गया। 44वां संशोधन देश की बदली हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल है।

विरोधी दलों का मुख्य विरोध इस बात को लेकर है कि यह संशोधन बड़ी शीघ्रता में लाया गया है तथा जनता को इन संशोधनों में निहित मामलों पर गहराई से विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। परन्तु मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि प्रस्तावित संशोधनों पर राष्ट्रव्यापी चर्चा हुई है और व्यापक रूप से इसके पक्ष में और विपक्ष में राय प्रकट की गई है।

आरोप लगाया गया है कि मूल अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के अधिकारों को ले लिया गया है। यह कहना सही नहीं है। उच्च न्यायालयों के वादी के कथन को सुनने के बाद ही रोकादेश का आदेश देने को कहा गया है। उनसे कहा गया है कि वे राज्य अथवा केन्द्र सरकार को अपना पक्ष पेश करने का अवसर दिये जाने से पहले रोकादेश न दें। न्याय दिये जाने के लिये ऐसा संशोधन करना अत्यावश्यक था।

कुछ तत्वों ने इस विधान को लागू करने के सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किया है। देश के सभी हित चिन्तकों का यह कर्त्तव्य है कि वह जनसाधारण को इनकी जानकारी दें और उन्हें यह बतायें कि यह संशोधन किस उद्देश्य से लाये गये हैं।

इसी तरह परिवार नियोजन को मूल कर्त्तव्यों में शामिल किया जाये। संसद और विधान सभाओं का कार्य काल 6 वर्ष के बजाय सात वर्ष रखा जाये।

श्री अर्जुन सेठी (मुद्रक): यह संविधान संशोधन विधेयक काफी लम्बे वाद-विवाद का परिणाम है। यह वाद-विवाद 1967 में राष्ट्रव्यापी था, जो गोलकनाथ के मामले के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण उठा था।

यह संशोधी विधेयक ऐसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिये लाया गया है। जहां तक संसद का सम्बन्ध है, संसद द्वारा संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को अदालत में नहीं उठाया जा सकता केवल उस आधार पर जहां उसके सम्बन्ध में अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया का पालन न किया गया हो। कोई भी न्यायालय संसद की संवैधानिक शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। जब भी संसद संविधान में संशोधन करती है उसका स्वरूप बदल कर संविधान सभा बन जाता है और उस अधिकार के अनुसार संसद को संविधान के किसी भी अंश का संशोधन करने का अधिकार है। मूल कर्त्तव्यों के मद संख्या 5 में यह कहा गया है कि नागरिक किसी भी प्रकार की 'साम्प्रदायिकता' से दूर रहे। दूर रहने और साम्प्रदायिकता का अर्थ स्पष्ट नहीं है। भारत में विद्यमान जाति वाद तथा साम्प्रदायिकता समान घातक है। इस उपबन्ध को अधिक स्पष्ट किया जाये। और जातिवाद को भी इसमें शामिल किया जाये। अन्तर्राज्यीय नदियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाये जिसे दो राज्यों में मुकदमे बाजी और विवाद न हो।

श्री एस० एन० सिंह देव (बांकुरा): स्वतन्त्रता के 29 वर्ष बाद भी हम देखते हैं कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा भाग निर्धनता के स्तर से भी नीचे की स्थिति में रह रहा है और जब तक उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए तुरन्त कुछ नहीं किया जाता, समाजवाद अथवा लोकतन्त्र का अर्थ हमारे समाज के उस बड़े भाग के लिए कोई नहीं है। जब निजी थैलियों को समाप्त करने अथवा बैंकों का राष्ट्रीकरण करने सम्बन्धी मामले सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख आये तो उसने संसद् द्वारा पास किये गये कानूनों को रद्द कर दिया। प्रधान मन्त्री को जनता से उसकी राय मांगनी पड़ी, जिससे संविधान में संशोधन किया जा सके। वर्तमान विधेयक कांग्रेस द्वारा लोगों से किए गए वायदों को पूरा करने का एक परिणाम है। इन संशोधनों के द्वारा संविधान में संशोधन करने के सम्बन्ध में संसद् की सर्वोच्चतता सुनिश्चित की जा रही है। यह उचित दिशा में उठाया गया एक उचित कदम है।

प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवाद' का जोड़ा जाना बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्र को समाजवादी आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए किसी ओर आगे जाना है।

विधेयक राष्ट्रव्यापी चर्चा और स्वर्णसिंह समिति की सिफारिशों के बाद लाया गया है। इस चर्चा म देश के विभिन्न वर्गों जैसे वकील, विचारक, छात्र कर्मचारी वर्ग ने भाग लिया है। यह कहना गलत होगा कि संशोधन शीघ्रता में किया जा रहा है।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : हमें इस बात का गर्व है कि आज पहली बार श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में 'समाजवाद' शब्द को संविधान में रखा गया है । हमारा उद्देश्य समाजवादी लोकतंत्र स्थापित करना है ।

भारत का निर्माण महात्मा गांधी और नेहरू के आदर्शों के अनुरूप किया जाना है। हमें भारत की संस्कृति पर गर्व है और हम गांधी जी के दर्शन का अनुसरण करेंगे। संविधान के निर्माण के समय निहित स्वार्थी लोगों का बहुमत था, यह एक प्रसिद्ध न्यायवादी का कथन है।

हमने 1971 में जनता का विश्वास प्राप्त किया और लोगों को यह आश्वासन दिया था कि श्रीमती गांधी के नेतृत्व में हम एक समतावादी और समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं। अतः मैं यह मानता हूं कि यह सभा संविधान सभा से भी बढ़कर है ।

समाजवाद लाने के लिए किसी संविधान सभा की जरूरत नहीं। इसे लाने का उत्तरदायित्व जनता की बलवती इच्छा, सत्ताधारी दल या सरकार पर है। आज नौकरशाही के पास बहुत शक्ति है। मंत्रियों के स्थान पर आई० ए० एस० या पी० सी० एस० अफसर देश पर शासन करते हैं । इन अधिकारियों के विरूद्ध केवल स्थानांतरण करने की कार्यवाही ही की जा सकती है। यह ब्रिटेन से मिली विरासत है। हमें इसे समाप्त करना है।

संविधान में मूल कर्त्तव्य शामिल किये जाने का स्वागत है। कर्त्तव्यों के बिना अधिकारों का कोई महत्व नहीं। नौकरशाही के भी मूल कर्त्तव्य होने चाहिएं। अन्य बहुत से देशों में भी मूलभूत कर्त्तव्यों का उनके संविधान में उल्लेख मिलता है ।

वन और वन जीवन की सुरक्षा के लिए पग उठाकर हम एक महान कार्य कर रहे हैं ।

संविधान में जो क्रांतिकारी संशोधन किये जा रहे हैं उनसे जनता के बहुत बड़े भाग का कल्याण होगा।

श्री के० नारायणराव (बोकिली) : संविधान की प्रस्तावना उसकी कुंजी है । लेकिन दुर्भाग्य है कि न्यायपालिक उसे साधारण सा कानून मानकर चल रही है। उन्होंने इस तथ्य की उपेक्षा की कि संविधान एक बुनियादी दस्तावेज है ।

20 सूत्रीय कार्यक्रम देने के लिए प्रधान मंत्री बधाई की पात्र हैं। हमारी प्रधान मंत्री ने मूलभूत कर्त्तव्यों की बात को पूरा श्रेय दिया जाना चाहिये। 24 ऐसे देश हैं जिनके सांवधान में कर्त्तव्यों का उल्लेख मिलता है।

समाजवाद का भारतीय रूप श्री नेहरू की देन है। साम्यवाद और हमारे समाजवाद में अन्तर स्पष्ट है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन देश का यह कर्तव्य है कि वह निदेशक सिद्धांतों को कार्यरूप दे । न्यायपालिका का कहना है कि इन सिद्धांतों की स्थिति गौण है । 'सर्चलाईट' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि मूल अधिकार संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन हो सकते हैं। मुझे खुशी है कि वर्तमान विधेयक द्वारा निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर स्थान देने का प्रयत्न किया गया है।

श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद राव (ओंगोल) : महोदय, मैं 44वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। 25 वर्षों के संघर्ष के बाद आज इस बात की जरूरत अनुभव की गई है कि जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संविधान में संशोधन होना चाहिए ।

अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था है । अन्य किसी अनुच्छेद में संशोधन करने का कोई उल्लेख नहीं । संविधान में मतसंग्रह या संविधान सभा जैसी कोई बात नहीं ।

[श्री इसहाक संभली पीठासीन हुए
Shri Ishaque Sambhli in the Chair]

संविधान से जनता की आवश्यकताएं और आकाक्षाएं लक्षित होती हैं । यदि हम जनता की आकांक्षाओं का आदर नहीं करते तो उसका परिणाम यह होगा कि जनता में असंतोष बढ़ेगा । यह क्रान्ति का रूप भी ले सकता है । जो लोग संविधान में संशोधन का विरोध कर रहे हैं वे शायद लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं । हम लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं । इसीलिए हम संशोधन की मांग कर रहे हैं।

संविधान में संशोधन करने का एकमात्र अधिकार संसद को है । हमने जो यह संशोधन विधेयक पास किया है वह हमेशा के लिए नहीं है । हमें जनता की इच्छाओं के अनुसार चलना होगा ।

संविधान ने संसद् को न्यायपालिका से बड़े अधिकार दिये हैं । न्यायपालिका कार्यपालिका के किसी भी कार्य, सरकार द्वारा बनाये गये किसी भी कानून तथा निचली अदालत द्वारा संविधान की किसी व्याख्या को रद्द कर सकती है । परन्तु उसे संविधान अथवा संवैधानिक संशोधनों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं ।

मौलिक अधिकार व्यक्तिगत रूप में दिये जाते हैं जबकि निदेशक सिद्धान्त जन-समुदाय के लिए हैं । अनुच्छेद 37 में उल्लेख है कि निदेशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों के समान ही मूलभूत हैं और इनका सम्बन्ध जन-समुदाय के लिए हैं । अतः निदेशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं ।

इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : Sir, I wholeheartedly support this Bill. It is a strong step taken for the welfare of the country. Still we have to do much more. Placing of Directive Principles above Fundamental Rights, the provision of Fundamental Duties and legal aid to the poor and banning the anti-national activities are all steps in the right direction. We welcome all these steps. However there are certain short-comings which should be made up.

There are certain uncertainities. We are not definite about our national wage policy. At present there are wide spread disparities in the incomes of various classes. There is a need for a national wage policy. All able bodied persons should be employed gainfully.

Subject of family planning should have been included in the Directive Principles. But we do not favour any compulsion in this regard.

I suggest that irrigation should be in the concurrent list so that we may be able to solve the river water disputes.

Dr. Govind Das Richchariya (Jhansi) : I support this Amendment Bill. I am grateful that you have accorded me an opportunity to speak on it. This Bill is a big step forward to realise the goal of socialism through democratic and peaceful means. This will be something new as socialism has been brought in other countries through violent means.

Parliament's supremacy has been asserted through this Bill and Judiciary has been cut to its proper size. The hon. Law Minister should also have made some provision for controlling bureaucracy. We should devise some means to ensure that executive remains devoted to the socialism.

Shri Shanker Dev (Bidar): Sir, we should look at our Constitution from international point of view also. The Directive Principles in the Constitution should also include that "the State shall endeavour to move progressively towards one world authority and one world law."

So far as duties are concerned, the words 'universal brotherhood' should be placed in the Constitution in place of "common brotherhood". Then there is no need to keep the 'right to property'. The owners of the property should consider themselves as trustees. This aspect should be made clear in the Chapter of duties. Duties should also include hard work and discipline. It should also be the duty of every Indian to inculcate truthfulness, ahimsa and love for humanity.

This Amendment Bill does not contain any clause to assert that Parliament is supreme. It should have been included.

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (सीतापुर) : महोदय इस संशोधन विधेयक और इस सभा को ऐतिहासिक माना जायेगा क्योंकि इसके द्वारा समाजवादी समाज के निर्माण का एक नया युग आरम्भ हो रहा है।

न्यायवादियों और न्यायाधीशों में संविधान के बुनियादी पहलुओं पर लम्बी चर्चा चलती रही है जिन्हें उनके अनुसार बदला नहीं जा सकता। पर यदि कोई बुनियादी चीज है तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों का उद्धार तथा व्यक्ति एवं श्रम का प्रतिष्ठा है। यदि इस उद्देश्य को प्राप्त करने में संविधान का कोई प्रावधान आड़े आये तो उसे समाप्त करना ही होगा।

हमारे संविधान निर्माताओं को इस देश में राज्य करने वाले अंग्रेज साम्राज्यवादियों और देश के अन्दर सामंतवादियों की महान शक्ति से उलझना पड़ा और काफी हद तक संतोष करना पड़ा। उनका तात्कालिक उद्देश्य देश को एसा संविधान देना था जो उन्हें सामान्तवाद और साम्राज्यवाद से बचा सकें। इससे हमने संरक्षण देने वाला संविधान बना लिया जिसके फलस्वरूप पूंजीवाद समाज का निर्माण होने लगा और कई त्रुटियां आ गयीं।

डा० बी० रामराव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि संविधान के साथ एक अनुसूची जोड़ी जानी थी, जिस में राष्ट्रपति की शक्तियां परिभाषित की गई थीं। परन्तु किसी कारणवश वह अनुसूची संविधान में न जोड़ी गई। इस से राष्ट्रपति की शक्तियों, सरकार की शक्तियों तथा सदन की शक्तियों के बारे में भ्रांति पैदा हो गई।

वस्तुतः हम इस विधेयक के द्वारा उन गलतियों को दूर कर रहे हैं, जो वर्ष 1950 में रह गई थीं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी जनता को सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय तथा आर्थिक न्याय प्राप्त हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम इस विधेयक को पास करना चाहते हैं। संसद् के वर्तमान सत्र को इतिहास में संसद् का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सत्र समझा जायगा।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : My hon. friend Shri Frank Anthony still thinks himself to be an Anglo-Indian. The English have left India 30 years ago and he still thinks himself to be an Anglo-Indian. He should treat himself only Indian and not Anglo-Indian.

He has advocated that English should be our national language. How he is justified I do not know. English is the language of the people who are six thousand miles away from us. So I wish that English should not have any place in India. If somebody wants to learn English, he can learn it as some people learn other foreign language like German, French etc. But it can not be an Indian language. It should have no place in our Constitution. It is strange that some people can learn English, but they can not learn any of the Indian languages like Hindi, Tamil and Telugu etc.

It has been pointed out that this Lok Sabha has not right to discuss the Constitution Amendment Bill, as it's normal term has expired in March, 1976. This contention is not correct. It is wrong to give this argument. Since all the members of the legally Constitution Lok Sabha are continuing this House has every right to amend the Constitution.

Hindi is our national language. So our entire official work should be in Hindi. We should have no hesitation in switching over to Hindi. All bills should first be drafted in Hindi and later translated in other languages. It is rather a matter of deep regret that English still continues to be our official language.

In the end I would like to point out that in order to consolidate the gains which we have made during recent years the emergency should be continued and the elections should be postponed for one more year.

श्री इस्मायल हुसैन खां (बारपेटा) : महोदय, मैं विधि मंत्री को संविधान संशाधन विधेयक लाने के लिये बधाई देता हूं ।

संसद् एक प्रभुत्ता सम्पन्न निकाय है । इसे कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने के लिए अनियंत्रित अधिकार प्राप्त हैं । इस की प्रभुसत्ता की कोई सीमा नहीं है । ब्रिटेन में एक कहावत है कि ब्रिटिश संसद् एक पुरुष और स्त्री बनाने और स्त्री को प्ररूप बनाने के सिवाय सब कुछ कर सकती है । फिर हमारी संसद् के बारे में यह क्यों कहा जा रहा है कि यह सांविधान में संशोधन नहीं कर सकती ।

जहां तक मूल भूत कर्तव्यों का सम्बन्ध है, जब हम अपने अधिकारों के बारे में सोचते हैं, तो कर्त्तव्यों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाना चाहिए । जब हम अच्छाई की परिभाषा करते हैं, तो हमें बुराई से भी अवगत होना चाहिए । अधिकार तथा कर्त्तव्य एक दूसरे पर निर्भर हैं । इन्हें अलग नहीं किया जा सकता । अधिकारों में कर्त्तव्य भी निहित हैं ।

अनुच्छेद 131-क के द्वारा उच्च न्यायालयों की शक्तियां तथा अधिकार कम किये गये हैं । इस से न्यायपालिका में भारी परिवर्तन आयेगा । इस से गरीब लोगों को बेकार की परेशानियों से राहत मिलेगी ।

हमारे विपक्षी मित्र समाजवाद चाहते हैं । परन्तु जब सरकार ने पूंजीवाद और नौकरशाही को समाप्त करने के लिए कदम उठाये, तो उन्होंने सरकार का समर्थन करने के बजाये सदन का वहिष्कार किया । पता नहीं वे कैसे समाजवादी हैं । उन्हें सन्तोष करके परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा (चिकमगलूर) : मैं संविधान 44वां संशोधन विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी राष्ट्र के संविधान में उस राष्ट्र के राजनैतिक दर्शन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए तथा आर्थिक ढांचे का विवरण होना चाहिए जिस से वह अपना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। इन 25 वर्षों में देश के लोगों ने कांग्रेस का दर्शन स्वीकार किया है। अतः संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिपेक्षता' और 'समाजवाद' शब्दों को अन्तःस्थापित करना उचित है।

संविधान के निर्माताओं ने ठीक ही सोचा था कि भावी उस संविधान को स्वीकार नहीं करेगी जिसे उन्होंने 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकार किया था और 1950 से लागू किया गया था। उन्होंने सोचा था कि इस में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में अनुच्छेद 368 के शामिल किये जाने से यह समस्या हल हो गई है, क्योंकि इस में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद् को संविधान में संशोधन करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

संविधान के बुनियादी ढांचे पर अपने विचार अभिव्यक्त करना उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। संविधान के बुनियादी ढांचे के बारे में केवल इस संसद् को ही संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। यदि कोई बुनियादी ढांचा है, तो वह है अनेकता में एकता, समाजावाद और धर्म निरपेक्षता। संविधान 44वां संशोधन विधेयक में स्पष्ट शब्दों में संविधान के बुनियादी ढांचे की परिभाषा दी गई है।

जहां तक मूलभूत कर्तव्यों का सम्बन्ध है, मैं महसूस करता हूं कि कर्तव्यों के बिना अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है। अतः वर्तमान विधेयक में मूलभूत कर्तव्यों को शामिल करना एक सराहनीय कदम है।

कुछ सदस्यों ने इस सदन को संविधान सभा में बदलने या इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के सुझाव दिये हैं। परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन से लेकर जनता इस ऐतिहासिक दिन की 30 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। वह अब और अधिक प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है। इस सदन को इस संविधान का 44वां संशोधन विधेयक के पास करने का पूर्ण अधिकार है।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सदन संविधान सभा की अपेक्षा अधिक लोकतंत्रात्मक है, क्योंकि उसमें केवल साधारण बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक को पास किया जा सकता है, जबकि इसमें दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है।

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : Mr. Chairman, it is an undisputed fact that under Articles 368 and 345 of the Constitution, Parliament is fully empowered to amend the Constitution.

The words like socialist and secular have been included in the Preamble of the Constitution. I would suggest that the Preamble should include casteless and classless society. Only then we will be able to march on the path of socialism.

I am happy that Education has been included in the concurrent list. There is aristocracy of public schools in our country, which makes it different for the students of common schools to compete for higher services. This aristocracy of public schools should go.

Article 355 imposes restriction on the employment and promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government services. This is creating difficulties in their way. This should be looked into.

While sufficient protection has been given to industrial labour in the Bill, no such protection has been afforded to an agricultural worker, who is hardly employed for three months in a year. Government should provide bonus and free education to his children and take adequate steps to improve his lot.

श्री सी० के० जाफर शरीफ (कनकपुरा) : इस देश की जनता ने हमें बड़े विश्वास के साथ चुना है और इसलिये जनता की इच्छा और आवाज की रक्षा करना हमारा पावन कर्त्तव्य है । जनता की इच्छा और आवास ही इस संसद् की प्रभुसत्ता है । संसद को संविधान में संशोधन करने का पूरा-पूरा अधिकार है और इस अधिकार की सुरक्षा करनी होगी ।

सम्पत्ति का अधिकार समाप्त किया जाना चाहिये और अनुच्छेद 311 का लोप किया जाना चाहिये । सभी सेवायें ठेके के आधार पर होनी चाहियें और कार्य निष्पत्ति के आधार पर प्रोत्साहन दिये जाने चाहियें ।

हमें परिवार नियोजन को अधिक महत्व देना चाहिए । यह तो एक आर्थिक कार्यक्रम है। किसी धर्म या सम्प्रदाय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । इस कार्यक्रम का सभी को स्वागत करना चाहिए और इसे तेजी से कार्यान्वित करना चाहिये ।

यह कहना ग़लत है कि आपात स्थिति की घोषणा राजनीतिक कारणों और कांग्रेस के हितों के लिये की गई है । इसकी घोषणा तो जनता और देश के हित में की गई है ।

मैं 44वें संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री पाओकाई हाओकिप (बाह्या मनीपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह विधेयक इसलिये लाया गया है ताकि हम जनता को अपने वांछित उद्देश्य की ओर ले जा सकें । लेकिन बड़े खेद की बात है कि इन वर्षों में सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है । इसका एक कारण यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये संविधान में कोई निदेशक सिद्धान्त नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का विकास करने की भारी क्षमता है । यदि हम वहां रेलवे लाइनों और सड़कों का निर्माण करें और वहां मूलभूत ढांचा तैयार करें तो इन क्षेत्रों का बड़ी सफलता से उपयोग किया जा सकता है । अतः पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करने हेतु संविधान में कानूनी उपबन्ध करने का अब सुअवसर आ गया है ।

अनुच्छेद 368 का संशोधन करने वाली धारा में कहा गया है कि इस संविधान में ऐसा कोई संशोधन (भाग - III के उपबन्धों सहित) नहीं किया गया है या इस अनुच्छेद [संविधान (44वां संशोधन) विधेयक, 1976 की धारा 55 के लागू होने से पहले या बाद में] के अन्तर्गत किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर किसी अदालत में, इसके सिवाय कि यह इस अनुच्छेद में विहित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है, चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

यह बहुत भ्रामक है 'इसके सिवाय कि यह संसद द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है' शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है । जो भी प्रक्रिया संसद् द्वारा पास की गई है वह संसद् द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप की गई मानी जायेगी । फिर हम न्यायालयों को इनमें हस्तक्षेप करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? मंत्री महोदय को यह बात स्पष्ट करनी चाहिये।

यद्यपि इस विधेयक के द्वारा किये जाने वाले सभी संशोधन महत्वपूर्ण हैं तथापि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । हमारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति न करने का एक मुख्य कारण यही रहा है कि हम इसे केन्द्रीय या समवर्ती सूची में अभी तक शामिल नहीं कर पाये हैं । अतः यह अत्यन्त सराहनीय संशोधन है ।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 28 अक्तूबर, 1976/6 कार्तिक 1898 (शक) के मध्याह्नपूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, the 28th October, 1976/ Kartika 6, 1898 (Saka).

MGIPRRND—14 LSS/76—Sec.III (N)—1-12-76—200